(आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 31281/78)

O.I.G.S.

डाक पंजीयन क्रमांक RJ/JPC/205/2021-23

राजस्थान रोज़गार संदेश

पाक्षिक

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 46 अंक 1 Website:http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in 15 फरवरी, 2023 फोन : 0141-2368398 मूल्य : 2.00 वार्षिक शुल्क 40 रु

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का उद्देश्य आर्थिक तंगहाली से ग्रस्त प्रदेश के मेधावी, प्रतिभावन पात्र विद्यार्थियों को अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी के लिए विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स व प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के अवसर प्रदान करना है। इस योजना की शुरूआत 5 जून, 2021 से की गई है।

पात्रता/सीमा :-

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, सब इंस्पेक्टर एवं 3600 ग्रेड पे या पे-मैट्रिक्स लेवल-10 से ऊपर की अन्य परीक्षा, रीट, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्रेड पे 2400 या पे-मैट्रिक्स लेवल-5 से ऊपर की परीक्षा, कांस्टेबल परीक्षा आदि की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।

विभिन्न professional courses में प्रवेश लेने तथा सरकारी नौकरियों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए SC, ST, OBC, EWS व Minority के छात्र-छात्राओं हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू करने की घोषणा बजट वर्ष 2021-22 में की गई थी। जिसमें कक्षा 11 एवं 12 में academic courses हेतु तथा कॉलेज के अंतिम दो वर्षों में रोजगार हेतु professional coaching संस्थानों के माध्यम से तैयारी करायी जायेगी। योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में 5 - 5 हजार छात्र-छात्राओं को लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे बजट 2022-23 में बढ़ाते हुये 15 हजार छात्र-छात्रायें लाभांवित कराने का प्रावधान किया है।

उक्त योजना के संचालन की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की गई है :-

1. उक्त योजना का संचालन ऑनलाईन पोर्टल तैयार कर पेपरलैस प्रक्रिया से कोचिंग संस्थानों /अभ्यर्थियों के पंजीयन / चयन कि प्रक्रिया की जा रही है। इच्छुक कोचिंग संस्थानों के प्रस्ताव विज्ञप्ति जारी कर परीक्षावार उक्त पोर्टल पर ही समस्त दस्तावेजों के साथ आमंत्रित किये जायेगें। ऑनलाईन प्राप्त कोचिंग संस्थानों के प्रस्तावों का जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापन कर निदेशालय को ऑनलाईन निरीक्षण रिपोर्ट मय अभिशंषा/आपत्ति के अग्रेषित किया जाता है।

2. अभ्यर्थी की पात्रता :-

- अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।
- अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य हो।
- अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) रूपये 8.00 लाख (रूपये आठ लाख रूपये) से कम हो या जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक्स का लेवल-11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों। अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावक राजकीय/ बोर्ड/निगम/निजी सेवा में सेवारत/कार्यरत वेतनभोगी है तो विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष/ नियोक्ता द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र।
- अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में संचालित अनुप्रति योजना का लाभ नहीं लिया हो।
- योजनान्तर्गत शैक्षणिक योग्यता परीक्षावार वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05.06.2021 के अनुसार होगी।

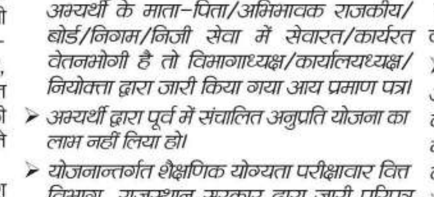

3. अभ्यर्थी के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया :-

- विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी किये जाने पर इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा ई-मित्र/एसएसओआईडी के माध्य से उक्त पोर्टल जनाधार कार्ड के माध्यम से आवेदन किया जावेगा।
- अभ्यर्थी द्वारा कोचिंग हेतु प्रस्तावित परीक्षा का नाम एवं सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान में से किसी एक कोचिंग संस्थान का चयन किया जायेगा। परीक्षा चयन हेतु जिले में सम्बन्धित वर्ग में लक्ष्य होने पर ऑनलाईन आवेदन करने दिया जावेगा।
- अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज अपलोड/वैब सर्विस से प्राप्त किये जावेंगे।

4. अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज :-

- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
- स्वघोषित आय घोषणा पत्र प्रति।
- अभ्यर्थी के जनाधार कार्ड, आधार कार्ड की प्रति।
- अभ्यर्थी को अपने स्वयं के बैंक का नाम, खाता नम्बर, बैंक आईएफएससी कोड, ब्रांच का नाम ऑनलाईन आवेदन पत्र में करना होगा।
- कक्षा 10 व 12वीं की अंकतालिका के साथ योजनान्तर्गत शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज परीक्षावार वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05.06.2021 के अनुसार अपलोड किया जाना।

पाक्षिक का 46वें वर्ष में प्रवेश

राजस्थान सरकार का हिन्दी पाक्षिक पत्र "राजस्थान रोजगार संदेश" इस अंक के साथ अपने प्रकाशन के 45 वर्ष पूर्ण कर 46वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है।

प्रकाशन की पैंतालीस वर्ष की इस सतत् यात्रा में सहहृदयी पाठक वर्ग का हमें पूर्ण सहयोग मिला। पाक्षिक के 46वें वर्ष में प्रवेश के अवसर पर पाठकों, विज्ञापनदाताओं, वितरकों तथा इससे जुड़े अन्य सहयोगियों को बधाई एवं आभार।

सम्पादक

5. अभ्यर्थी के आवेदन के निस्तारण की प्रक्रिया:-

- अभ्यर्थी द्वारा ईमित्र/एसएसओआईडी से ऑनलाईन किये गये आवेदन उसकी श्रेणी के आधार पर सम्बन्धित विभागीय जिलाधिकारी को अग्रेषित हो जावेगा।
- सम्बन्धित विभागीय जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन की जाँच कर 15 दिवस में अनुमोदित/ निरस्त कर दिया जावेगा।
- अनुमोदित आवेदन पत्रों की निर्धारित तिथि को सम्बन्धित निदेशालय द्वारा ऑनलाईन व्यवस्था से जिलेवार, वर्गवार, परीक्षावार, निर्धारित लक्ष्य अनुसार मैरिट जारी कर सूची सम्बन्धित कोचिंग संस्थान को स्वतः प्रेषित हो जावेगी।
- चयनित अभ्यर्थी द्वारा आवंटित कोचिंग संस्थान में निर्धारित अवधि में उपस्थिति दी जावेगी जिसकी ऑनलाईन उपस्थिति रिपोर्ट कोचिंग संस्थान द्वारा सम्बन्धित निदेशालय को प्रेषित की जावेगी।
- अभ्यर्थी द्वारा उक्त योजना में एक बार चयनित होने पर पुनः आवेदन नहीं करने दिया जावेगा।
- कोचिंग हेतु चयनित अभ्यर्थी द्वारा कोचिंग नहीं किये जाने की स्थिति में उचित कारणों के आधार पर आयुक्त/निदेशक द्वारा पुनः अनुमत किया जा सकेगा।

नोटः- अधिक जानकारी के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्पर्क करें।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

मुंबई रिफाइनरी, बी.डी. पाटिल मार्ग, माहुल, मुंबई - 400074, महाराष्ट्र, भारत
सीआईएन-L23201MH1952GOI008858

Azadi Ka Amrit Mahotsav

तकनीशियनों की भर्ती

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) जिस का गठन 15 जुलाई, 1974 को हुआ था। एचपीसीएल एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज (सीपीएसई) और एक एसएंडपी प्लेट्स टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी है, जिसकी 26 वीं रैंकिंग के साथ सालाना वित्त वर्ष 2021-22. रुपये 372,642 करोड़ की वार्षिक बिक्री हुई है। एचपीसीएल को भारत में लगभग 18% बाजार हिस्सेदारी प्राप्त है और देश में पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन और विपणन में इसकी मजबूत उपस्थिति है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, एचपीसीएल ने कर पश्चात लाभ (पीएटी) रु. 6,383 करोड़ किया है।

एचपीसीएल मुंबई और विशाखापत्तनम में क्रमशः 9.5 एमएमटीपीए और 8.3 एमएमटीपीए की डिजाइन क्षमता वाली रिफाइनरियों का स्वामित्व और संचालन करती है। एचपीसीएल के पास मुंबई में 428 टीएमटीपीए की क्षमता वाले ल्यूब ऑयल बेस स्टॉक के उत्पादन करनेवाली देश की सबसे बड़ी ल्यूब रिफाइनरी भी है। एचपीसीएल की जेवी कंपनी, एचएमईएल में 48.99% इक्विटी की हिस्सेदारी है, जो पंजाब में 11.3 एमएमटीपीए क्षमता की रिफाइनरी का संचालन करती है और एमआरपीएल में भी 16.96% इक्विटी की हिस्सेदारी है, जो कर्नाटक में 15 एमएमटीपीए क्षमता की रिफाइनरी का संचालन करती है।

एचपीसीएल के पास एक विशाल विपणन नेटवर्क है जिसमें प्रमुख शहरों में 14 ज़ोनल कार्यालय और 133 क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं, जिसमें 42 टर्मिनल / इंस्टॉललेशन्स / टैप ऑफ पॉइंट, 47 एविएशन सर्विस स्टेशन, 53 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, 6 ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट, ल्यूब डिपो सहित 70 डिपो है जिसमें आपूर्ति और वितरण की बुनियादी ढांचे की सुविधा है। ग्राहक संपर्क पॉइंट्स हैं 20,025 रिटेल आउटलेटस, 1,638 एसकेओ/एलडीओ डीलर्स, 274 ल्यूब वितरक, 122 कैरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट, रिटेल आउटलेट पर 1087 सीएनजी सुविधाएं और 6,243 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप शामिल हैं, जिनका ग्राहक आधार अप्रैल 22 तक लगभग 9.17 करोड़ एलपीजी ग्राहक हैं।

एचपीसीएल के पास भारत में दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन नेटवर्क है जिसकी नेटवर्क लंबाई 3,775 किलोमीटर है। एचपीसीएल अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मैसर्स प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड (पीपीसीएल) के माध्यम से हाइड्रोकार्बन का अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) करता है। एचपीसीएल 19 जेवी और तेल और गैस मूल्य श्रृंखला में काम करने वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से भी कारोबार करती है।

एचपीसीएल प्रतिभाशाली और प्रेरित उम्मीदवारों को आमंत्रित करता है जो ऊर्जा क्षेत्र में रोमांचक केरियर के अवसरों की तलाश कर रहे हैं और हमारी विकास यात्रा का हिस्सा बनकर भारत के ऊर्जा भविष्य में योगदान करने के इच्छुक हैं। निम्नलिखित रिक्तियों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियाँ	
ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत	01/02/2023
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	25/02/2023

अनु. क्रमांक	पद	अर्हता	वर्तमान रिक्तियां					कुल
			अ जा	अ ज	अ पि व	ई डब्ल्यू एस	अ श्रे	
1	सहायक प्रक्रिया तकनीशियन	रसायन विज्ञान के साथ प्रधान विषय (ऑनर्स) / पॉलिमर रसायन विज्ञान / औद्योगिक रसायन विज्ञान के रूप में बी.एससी. में 60% कुल अंक। केमिकल इंजीनियरिंग / पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग / केमिकल इंजीनियरिंग (उर्वरक) / केमिकल इंजीनियरिंग (प्लास्टिक और पॉलिमर) / केमिकल इंजीनियरिंग (चीनी प्रौद्योगिकी) / रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग / केमिकल इंजीनियरिंग (तेल प्रौद्योगिकी) / केमिकल इंजीनियरिंग (पॉलिमर टेक) में डिप्लोमा में 60% कुल अंक। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीडब्ल्यूबीडी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 50% कुल अंक।	6	0	3	3	25	30
2	सहायक बॉयलर तकनीशियन	बारहवीं में 60% कुल अंक **अथवा** एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित आईटीआई में 60% कुल अंक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीडब्ल्यूबीडी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 50% कुल अंक। **और** प्रथम श्रेणी बॉयलर अटेंडेंट योग्यता प्रमाण पत्र						7
3	सहायक अग्नि एवं सुरक्षा ऑपरेटर	विज्ञान के साथ बारहवीं में 60% कुल अंक **और** स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर से फायरमैन के लिए बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स में सर्टिफिकेट। पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम छह महीने की होनी चाहिए और ऐसे संस्थान और पाठ्यक्रम को संबंधित राज्य सरकार से संबद्धता/मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। **अथवा** नागपुर फायर कॉलेज से सब ऑफिसर्स कोर्स। **अथवा** डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी में 60% कुल अंक। ऐसे संस्थान और पाठ्यक्रम को संबंधित राज्य सरकार से संबद्धता/मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीडब्ल्यूबीडी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 50% कुल अंक। **और** भारी वाहन चलाने का वैध लाइसेंस।	5	0	6	2	10	18
4	सहायक अनुरक्षण तकनीशियन (इलेक्ट्रिकल)	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा में 60% कुल अंक **अथवा** इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा में 60% कुल अंक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीडब्ल्यूबीडी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 50% कुल अंक।	5	0	6	2	10	5
	कुल		11	0	9	5		60

योग्यता मानदंड पर महत्वपूर्ण नोट्स:

1. केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन करने के पात्र हैं।
2. आयु के प्रमाण के समर्थन में मैट्रिक/उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण करने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र ही एकमात्र स्वीकार्य दस्तावेज होगा। ऊपर उल्लिखित के अलावा कोई अन्य दस्तावेज आयु के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. सभी योग्यताएं एआईसीटीई या संबंधित राज्य बोर्ड या समकक्ष सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता मानदंड के उद्देश्य से अंशकालिक या दूरस्थ मोड के माध्यम से पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. उपरोक्त संबंधित पदों के संबंध में निर्दिष्ट शाखाओं / विषयों में योग्यता को ही पात्र योग्यता माना जाएगा। निर्दिष्ट शाखाओं / विषयों के अलावा अन्य में डिप्लोमा / डिग्री / आईटीआई पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित योग्यता के समकक्ष योग्यता रखने के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के तहत आवेदन करते समय उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम के सभी सेमेस्टर में उत्तीर्ण होना चाहिए।
6. भूतपूर्व सैनिकों के मामले में पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रम के मानदंड पर जोर नहीं दिया जाएगा, बशर्ते उनके पास अपेक्षित समकक्ष योग्यता हो जो सेवा अवधि के दौरान प्राप्त की गई हो और एआईसीटीई/एमएचआरडी द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
7. इंजीनियरिंग, बीई, एएमआईई, एमबीए, सीए, एलएलबी, एमसीए या ऐसी किसी समकक्ष योग्यता में उच्च पेशेवर योग्यता रखने वाले उम्मीदवार पात्र नहीं हैं। इसलिए, ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, ऊपर उल्लिखित न्यूनतम योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले और आगे उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
8. सामान्य, ओबीसी-नॉन क्रीमी (एनसी), ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा/बारहवीं परीक्षाओं में न्यूनतम 60% कुल अंक (सभी सेमेस्टर/वर्षों में कुल मिलाकर) प्राप्त करने चाहिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार के लिए 50% कुल अंकों में छूट दी हैं। पूर्णांकन प्रतिशत की अनुमति नहीं है।
9. प्रथम श्रेणी बॉयलर अटेंडेंट योग्यता प्रमाणपत्र की अधिमानतः महाराष्ट्र राज्य से होना चाहिए। यदि प्रमाण पत्र किसी अन्य राज्य से है, तो उसे स्टीम बॉयलर निदेशालय, महाराष्ट्र द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
10. वर्तमान में सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में कार्यरत उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के समय अपने वर्तमान नियोक्ता के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। वर्तमान नियोक्ता से इसे प्रस्तुत करने में विफल होने की स्थिति में, उम्मीदवार को कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
11. सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में नियोजित उम्मीदवारों को, यदि नियुक्ति की पेशकश की जाती है, तो उन्हें कार्यभार ग्रहण के समय अपने नियोक्ता से उचित 'रिलीज ऑर्डर' जमा करना होगा, जिसके बिना उन्हें शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
12. जहां भी सीजीपीए/ओजीपीए या लेटर ग्रेड आवश्यक योग्यता शैक्षिक योग्यता में दिया जाता है, संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार आवेदन पत्र में अंकों के समकक्ष प्रतिशत का संकेत दिया जाना चाहिए। कृपया संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से इस आशय का एक प्रमाणपत्र भी प्राप्त करें जिसकी आवश्यकता कौशल परीक्षा के समय होगी।
13. उपर्युक्त अधिसूचित पदों का कार्य विवरण www.hindustanpetroleum.com पर करियर के तहत होस्ट की गई विस्तृत अधिसूचना में दिया गया है।

क. आयु मानदंड:

न्यूनतम आयु सीमा : 18 वर्ष (1st फरवरी, 2023 तक)
अधिकतम आयु सीमा : 25 वर्ष (1st फरवरी, 2023 तक)

ख. चयन प्रक्रिया:

संबंधित पदों के लिए सभी उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) के लिए बुलाया जाएगा जिसमें सामान्य योग्यता परीक्षा और तकनीकी/व्यावसायिक ज्ञान शामिल होगा। एचपीसीएल द्वारा तय किए गए विभिन्न स्थानों पर विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सीबीटी आयोजित की जाएगी।कॉर्पोरेशन किसी भी कारण से किसी भी स्तर पर किसी भी परीक्षा केंद्र को शामिल/बाहर करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी कारण से परीक्षण या परीक्षा केंद्रों की तिथि में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

सीबीटी में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को श्रेणीवार और स्थितिवार योग्यता सूची (एचपीसीएल द्वारा निर्धारित सीबीटी के कट-ऑफ अंकों के अनुसार) के आधार पर दस्तावेज़ सत्यापन और कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट केवल "क्वालिफाइंग नेचर" का होगा।

यदि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंड (आयु, शैक्षिक योग्यता आदि) को पूरा नहीं करता है, तो उसे कौशल परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सीबीटी और स्किल टेस्ट क्वालीफाई करने के बाद अंतिम चयन, क्लीयरिंग डॉक्यूमेंट / सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और प्री-एंप्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट के अधीन होगा। कृपया ध्यान दें कि केवल सीबीटी/कौशल परीक्षा बुलावा पत्र जारी करने या चिकित्सा परीक्षा के संदर्भ को उम्मीदवार के अंतिम चयन के रूप में नहीं माना जाएगा।

ग. रियायतें/छूटें:

सामान्य निर्देश:

1. एससी, एसटी, ओबीसी-एनसी, ईडब्ल्यूएस, भूतपूर्व सैनिकों और पीडब्ल्यूबीडी (बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति - 40% या उससे अधिक की अक्षमता की डिग्री के साथ) के लिए पदों का आरक्षण सरकारी निर्देशों के अनुसार है। ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आरक्षण संबंध में सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक उद्यम विभाग के ओ.एम. 20(10)/99-डीपीई-जीएम-पार्ट-2019-एफटीएस-1517 दिनांक 25.01.2019 और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ओ.एम. संख्या 36039/1/2019-स्था. (आरईएस) दिनांक 31.01.2019 अनुसार है।
2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में कौशल परीक्षा के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में मूल जाति प्रमाण पत्र / ईडब्ल्यूएस / पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। समकक्ष योग्यता का दावा करने वाले भूतपूर्व सैनिक को संबंधित मंत्रालय द्वारा समकक्षता प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल के रूप में आरक्षण चाहने वाले अभ्यर्थियों को भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रपत्र में उम्मीदवार की जाति, अधिनियम/आदेश, जिसके तहत जाति को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है और उम्मीदवार आमतौर पर गांव / शहर का निवासी है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी जाति/समुदाय का नाम और उनके जाति/समुदाय प्रमाण पत्र में इसकी वर्तनी ठीक वैसी ही होनी चाहिए, जैसा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में उल्लिखित है (ओबीसी श्रेणी के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जातियों की सूची)। केंद्रीय सूची में ओबीसी जातियों के रूप में भारत सरकार की साइट http://www.ncbc.nic.in पर उपलब्ध

(क्रमशः)

है, एसटी श्रेणी के लिए प्रत्येक राज्य के लिए जातियों की सूची http://www.ncst.nic.in साइट पर उपलब्ध है और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए प्रत्येक राज्य के लिए जातियों की सूची http://ncsc.nic.in साइट पर उपलब्ध है)। जाति/समुदाय प्रमाण पत्र के लागू प्रारूप हमारी वेबसाइट http://hindustanpetroleum.com ->करियर ->अवलोकन ->दस्तावेज़ पर उपलब्ध हैं।

4. जाति के नाम में किसी भी भिन्नता वाले प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. यदि एससी/एसटी/ओबीसी-एनसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण पत्र अंग्रेजी/हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा में जारी किया गया है, तो उम्मीदवारों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अंग्रेजी या हिंदी में अनुवादित प्रति जमा करनी होगी।
6. सरकार के निर्देशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष और ओबीसी-एनसी के लिए 3 वर्ष, पीडब्ल्यूबीडी (यूआर) के लिए 10 वर्ष, पीडब्ल्यूबीडी (ओबीसी-एनसी) के लिए 13 वर्ष और पीडब्ल्यूबीडी (एससी/एसटी) उम्मीदवार के लिए 15 वर्ष की छूट है। 01.01.1980 और 31.12.1989 के बीच जम्मू और कश्मीर में अधिवासित उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है।भूतपूर्व सैनिक के मामले में जिन्होंने संघ के सशस्त्र बलों में कम से कम छह महीने की लगातार सेवा की है, उन्हें ऐसी सेवा की अवधि को उनकी वास्तविक आयु **से कम करने की अनुमति दी** जाएगी और यदि परिणामी उसके लिए निर्धारित अधिकतम **आयु सीमा तीन वर्ष से अधिक नहीं है या** उम्मीदवार जिस पद सेवा के लिए नियुक्ति चाहता है, **उसे आयु सीमा के संबंध में शर्त को पूरा करने** वाला समझा जाएगा।
7. एक बार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के **बाद श्रेणी (सामान्य/एससी/एसटी/ओबीसी-एनसी/ईडब्ल्यूएस/** पीडब्ल्यूबीडी) में परिवर्तन के किसी **भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा** और तदनुसार लागू रियायत/छूट नहीं बढ़ाई जाएगी। **ऐसे आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज** कर दिया जाएगा।

ईडब्ल्यूएस श्रेणी:

1. ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत **चुने गए उम्मीदवारों की** नियुक्ति अनंतिम होगी और उचित माध्यम से आय और संपत्ति प्रमाण **पत्र के सत्यापन के अधीन** होगी। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ भारत सरकार **द्वारा निर्धारित प्रारूप में** वित्त वर्ष 2021-22 की सकल वार्षिक आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी **द्वारा जारी वित्तीय वर्ष** 2022-23 के लिए वैध 'आय और संपत्ति प्रमाण पत्र' के उत्पादन पर **प्राप्त किया जा सकता है**। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे चयन प्रक्रिया के समय 01.04.**2022 को या उसके बाद** जारी किए गए "आय और संपत्ति प्रमाण पत्र" के पास में हों। ऐसे उम्मीदवारों **को चयन प्रक्रिया** (यदि बुलाया जाता है) के समय 'आय और संपत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करना होगा। **उक्त तिथि के बाद** 'आय और संपत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के अनुरोध **पर विचार नहीं किया** जाएगा। इसे प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले उम्मीदवारों को **कौशल** परीक्षा **में शामिल होने की** अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, सामान्य **श्रेणी के** तहत **विचार किए** जाने के **उनके** अनुरोध **पर** भी विचार नहीं किया जाएगा।

ओबीसी नॉन-क्रीमी कैटेगरी:

1. ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को भारत सरकार / **केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के** उपक्रम के तहत **पदों** पर नियुक्ति में आरक्षण के उद्देश्य से **लागू निर्धारित** प्रारूप **में विज्ञापन** के **वर्ष** से **संबंधित** एक **वैध जाति** प्रमाण पत्र एक सक्षम प्राधिकारी **से प्रस्तुत करना** होगा, **जैसा कि** डीओपीटी मेमो **संख्या** 36036/2/2013- ईएसटीटी. (रेस.) दिनांक **30-05-2014** में **निहित है। इसके अलावा,** ओबीसी-एनसी के उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के **समय, यदि बुलाया जाता है, तो एक स्व-वचन पत्र** देना **होगा**, जिसमें **यह** दर्शाया जाएगा कि वे ओबीसी-**एनसी से संबंधित हैं।**
2. ओबीसी **प्रमाण पत्र में** यह भी स्पष्ट रूप से इंगित **होना चाहिए** कि **उम्मीदवार** केंद्र सरकार **के तहत** पदों **और** सेवाओं **के लिए** आवेदन करने के लिए **भारत सरकार** द्वारा **परिभाषित** क्रीमी लेयर से **संबंधित** नहीं **है।**
3. ओबीसी **उम्मीदवार जो** "क्रीमी लेयर" से **संबंधित हैं,** ओबीसी-**एनसी** उम्मीदवारों के लिए **स्वीकार्य** रियायत **के हकदार नहीं** हैं और ऐसे **उम्मीदवारों को** आवेदन करते समय **अनारक्षित (यूआर) के रूप** में अपनी **श्रेणी का संकेत** देना होगा।
4. उम्मीदवार का ओबीसी **दावा** उस राज्य (या **राज्य के हिस्से**) **के संबंध में निर्धारित किया जाएगा जिससे** उसके/**उसकी** पिता **मूल रूप** से संबंधित हैं। **उम्मीदवार** जो **एक राज्य (या राज्य के हिस्से) से दूसरे** राज्य में **स्थानांतरित** हो **गया है**, इसलिए, उसे **ओबीसी प्रमाण** पत्र **प्रस्तुत करना चाहिए जो उसे उसके/** उसकी पिता **के ओबीसी प्रमाण** पत्र के आधा**र पर उस** राज्य से जारी किया जाना चाहिए जहां वह (पिता)) मूल **रूप से संबंधित है।**

घ. शारीरिक / चिकित्सा फिटनेस:

कौशल परीक्षण **के बाद** चुने **गए उम्मीदवा**रों को एचपीसीएल के दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्व-रोजगार चिकित्सा परीक्षा **से गुजरना** होगा। **कृपया** यह ध्यान दिया जाए कि दोषपूर्ण रंग दृष्टि एचपीसीएल के पूर्व-रोजगार चिकि**त्सा मानदंडों** के **तहत एक** अपात्रता है। कंपनी के अधिकृत डॉक्टर/नामित अस्पताल ऐसे उम्मीदवा**रों के स्वास्थ्य** का **आकलन** करेंगे और अंतिम नियुक्ति कंपनी द्वारा निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा **करने के अधीन होगी। सभी** उम्मीदवारों के लिए कंपनी डॉक्टर/कंपनी अधिकृत डॉक्टर द्वारा मेडिकल **फिटनेस** पर **निर्णय अंतिम और** बाध्यकारी होगा। कॉर्पोरेशन द्वारा इस संबंध में कोई पत्राचार या पूछताछ **पर विचार** नहीं किया जाएगा।

विज्ञापित पदों के लिए खुले क्षेत्रों में काम करना, ऊंची संरचनाओं पर चढ़ना, सीढ़ियों और मंकी लैडर द्वारा स्तंभों और टैंकों पर चढ़ना, इकाई आपात स्थिति या प्रक्रिया में गड़बड़ी पर त्वरित प्रतिक्रिया, बड़े परिचालन क्षेत्रों में आवाजाही, ऊंचाई में काम करना, सुरक्षात्मक उपकरणों के साथ खतरनाक क्षेत्रों में काम करना, काम करना तीनों पारियों में और सभी मौसमों में काम करना होगा। इसलिए, सभी आवेदकों को आवेदन करने से पहले नौकरी के लिए उनकी उपयुक्तता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

किसी अन्य स्थान/कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी इकाई या किसी सरकारी प्राधिकरण या किसी अन्य पीएसयू द्वारा चिकित्सा परीक्षण के दौरान पद के लिए अयोग्य पाए जाने वाले उम्मीदवार को "अयोग्य" घोषित किए जाने के कारणों के साथ अपनी चिकित्सा स्थिति की घोषणा करनी चाहिए।

इ. कंपनी के (सीटीसी) के आधार पर लागत पर पारिश्रमिक पैकेज:

उपरोक्त सभी पदों के लिए पारिश्रमिक लगभग रु.7,52,000/- प्रति वर्ष (वेतनमान रु. 27500/- से रु. 100000/-) कंपनी के आधार लागत पर मिलेगा।

उल्लिखित सीटीसी की गणना न्यूनतम आधार स्तर पर की गई है और इसमें मूल वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ, महंगाई भत्ता, एचआरए और कैफेटेरिया भत्ता शामिल है। उल्लिखित सीटीसी के अलावा, अन्य भत्तों/लाभों में आवास (वरिष्ठता के अनुसार और उपलब्धता के अधीन), चिकित्सा सुविधाएं, उत्पादकता प्रोत्साहन, ग्रेच्युटी, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, अवकाश यात्रा रियायत/एलएफए आदि शामिल हैं, जो मुंबई रिफाइनरी और कॉर्पोरेशन के नियमों के अनुसार लागू दीर्घावधि समझौते के अनुसार है।

चयनित उम्मीदवार आर07 ग्रेड में एचपीसीएल में शामिल होंगे। वे छह माह की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा अवधि के सफल समापन पर, उन्हें परिवीक्षा अवधि के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन पुष्टि के लिए विचार किया जाएगा। सेवा में पुष्टि पूर्ववृत्त के सत्यापन और जहां भी लागू हो, जाति की स्थिति के सत्यापन के अधीन होगी।

च. आवेदन कैसे करें:

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि आवेदन पत्र भरने से पहले यहां दिए गए निर्देशों को पूरा पढ़ें।

1. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑन-लाइन आवेदन जमा करने से पहले शैक्षिक योग्यता और अन्य पात्रता मानदंडों के विवरण के लिए पूरा विज्ञापन ध्यान से पढ़ें।
2. उम्मीदवार को वेबसाइट www.hindustanpetroleum.com पर जाकर उपरोक्त विज्ञापित पद के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करना होगा और करियर ->जॉब ओपनिंग पर क्लिक करना होगा। आवेदन का कोई अन्य साधन / मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले नवीनतम पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो की सॉफ्ट कॉपी और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी (जेपीजी/जीआईएफ प्रारूप में 200 केबी से कम) तैयार रखनी चाहिए।
4. ऑनलाइन आवेदन जमा करने पर, 12 अंकों की एक सिस्टम जनित आवेदन संख्या स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। कृपया ध्यान दें कि यह आवेदन संख्या महत्वपूर्ण है और चयन प्रक्रिया के दौरान भविष्य के सभी संदर्भों के लिए आवश्यक होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लें, हाल ही का रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो (ऑनलाइन आवेदन में अपलोड की गई तस्वीर के समान) चिपकाएं, हस्ताक्षर के लिए दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर करें और भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।

आवेदन और चयन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स:

1. उम्मीदवार जो स्थानीय रोजगार कार्यालय/जिला सैनिक पुनर्वास बोर्ड/विशेष रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं और निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, जिनके नाम इस अधिसूचना के खिलाफ प्रायोजित हैं, उन्हें भी एचपीसीएल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी जाती है, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. उम्मीदवारों के पास एक सक्रिय ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कम से कम अगले एक वर्ष के लिए वैध होना चाहिए। उम्मीदवारों के साथ भविष्य के सभी संचार केवल पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से होंगे। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के पंजीकरण के बाद, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. उम्मीदवारों को **केवल एक पद के लिए** आवेदन करने की आवश्यकता है क्योंकि सभी पदों के लिए सीबीटी एक ही तिथि और एक ही समय पर सभी परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
4. उम्मीदवारों को एचपीसीएल को आवेदन या किसी अन्य दस्तावेज की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता **नहीं है। उम्मीद**वारों को सीबीटी/स्किल टेस्ट कॉल लेटर हार्ड कॉपी के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। **उम्मीदवारों को इसे** एचपीसीएल की http://hindustanpetroleum.com वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। **एचपीसीएल** की वेबसाइट के माध्यम से करियर अनुभाग के तहत विभिन्न सूचनाएं, कार्यक्रम/तारीखें देखी जा सकती हैं।
5. **ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए** विवरण को अंतिम माना जाएगा और व्यक्तिगत / किसी अन्य विवरण **के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं** किया जाएगा।
6. सीबीटी/कौशल **परीक्षा के लिए उपस्थित होने** वाले बाहरी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/**पीडब्ल्यूबीडी** उम्मीद**वारों के लिए परीक्षा केंद्र तक** सबसे छोटे मार्ग से द्वितीय श्रेणी के रेल किराए की **प्रतिपूर्ति** की जाएगी, बशर्ते **यात्रा की गई दूरी प्रत्येक** तरफ 30 किलोमीटर से कम न हो। आवेदन के समय प्रस्तुत किए गए डाक **पते के अलावा अन्य स्थान** से यात्रा करने वाले उम्मीदवारों की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। यदि किसी उम्मी**दवार को कौशल परीक्षा** के लिए बुलाया जाता है और वह पात्रता **मानदंड (आयु,** शैक्षिक योग्यता आदि) **को पूरा नहीं करता है,** तो वह किसी भी यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति **का हकदार** नहीं होगा। यात्रा प्रतिपूर्ति **का दावा करने वाले** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/**पीडब्ल्यूबीडी** उम्मीदवारों को अपने बैंक **विवरण को सही ढंग** से ऑनलाइन प्रस्तुत करना आवश्यक **है**। यह प्रतिपूर्ति उन उम्मीदवारों पर लागू **नहीं है जो पहले से** ही केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू की सेवाओं में हैं।
7. सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे सीबीटी **और स्किल टेस्ट की** तारीख और स्थान आदि के लिए हेल्पलाइन/एसएमएस सेवाओं पर अपडेट रहें और **समय-समय पर** एचपीसीएल की वेबसाइट देखें।
8. किसी भी कारण से उम्मीदवारों से ऑनलाइन **आवेदन और प्रसंस्क**रण शुल्क प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और **इस पर आगे कोई** सम्प्रेषण नहीं किया जाएगा। एचपीसीएल भुगतान गेटवे में किसी भी गड़बड़ी या **भुगतान की किसी** भी विफलता/गेटवे के माध्यम से लेन-देन संख्या के गैर-सृजन के लिए जिम्मेदार नहीं **होगा।**
9. **महाराष्ट्र** राज्य में अधिवासित उम्मीदवारों को भर्ती अ**वसर का उपयोग** करने के लिए प्रोत्साहित किया **जाता है क्योंकि** अधिसूचित रिक्तियां मुंबई में स्थित हैं। **स्थानीय भाषा (मरा**ठी) का ज्ञान वांछनीय होगा।
10. **सीबीटी के लिए प्रवेश** पत्र वेबसाइट से डाउनलोड **किया जाना चाहिए** और उम्मीदवार द्वारा विधिवत **हस्ताक्षरित और रंगीन पास**पोर्ट आकार की तस्वीर चि**पकाई जानी चाहिए** और सीबीटी के समय प्रस्तुत **की जानी चाहिए।**
11. **सीबीटी के लिए प्रश्न पत्र द्विभाषी** (हिंदी और अंग्रेजी में) **होगा और उम्मीद**वार केवल अंग्रेजी या हिंदी में **उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं।** यदि किसी प्रश्न के **अंग्रेजी और हिंदी** संस्करण में कोई भिन्नता है, तो **अंग्रेजी संस्करण को प्रामाणिक माना** जाएगा। सीबी**टी के लिए पाठ्यक्र**म और नमूना प्रश्न एचपीसीएल **की वेबसाइट पर होस्ट किए जाएंगे।**
12. **सीबीटी के लिए केंद्र बदलने के अनु**रोध पर विचा**र नहीं किया जाएगा।**
13. **पीडब्ल्यूबीडी (योग्यता या सीबीटी यो**ग्यता अंक **में छूट का लाभ) और** भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों, यदि **उपयुक्त पाए जाते हैं, तो क्षैतिज आर**क्षण नीति **पर** मेरिट **सूची (श्रे**णी के भीतर योग्यता के क्रम में) में उनकी स्थिति के बावजूद आरक्षित रिक्ति के **खिलाफ विचार किया** जाएगा।
14. आवेदक की उम्मीदवारी अनंतिम होगी **और प्रमाणपत्रों/प्रशं**सापत्रों आदि के बाद के सत्यापन के अधीन होगी। चयन प्रक्रिया के किसी **भी स्तर पर, यदि यह** पाया जाता है कि उम्मीदवार ने गलत या गलत जानकारी दी है, तो उम्मीदवार **की उम्मीदवारी/नियुक्ति** रद्द कर दी जाएगी।

छ. आवेदन शुल्क का भुगतान:

सामान्य, भूतपूर्व सैनिक, **ओबीसी-एनसी और** ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को ₹590/- की गैर-वापसी योग्य राशि **का भुगतान करने की** आवश्यकता है + भुगतान गेटवे शुल्क यदि कोई हो (जिसमें **जीएसटी @ 18% शामिल है**)। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूबीडी **उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क** के भुगतान से छूट दी गई है।

भुगतान का प्रकार:

डेबिट / क्रेडिट कार्ड / यूपीआई / नेट बैंकिग के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान: ऑनलाइन आवेदन **शुल्क का भुगतान करने पर, शुल्क की सफल प्राप्ति पर** भुगतान की स्थिति स्वचालित रूप से "आपका **लेनदेन सफलतापूर्वक** पूरा हो गया है" **में बदल जाएगी। स**भी उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना **होगा कि भुगतान** की स्थिति "पूर्ण" है **क्योंकि किसी अन्य भुग**तान स्थिति के मामले में लेनदेन को **"अधूरा"**माना जाएगा। एक बार भुगता**न हो जाने के बाद, उम्मीदवा**रों को भुगतान की पावती का प्रिंट लेना होगा और भविष्य के संदर्भ के लिए **इसे संभाल कर रखना होगा।**

नोट: एक बार भुगतान किया गया आवेदन **शुल्क किसी भी परिस्थिति में** वापस नहीं किया जाएगा। इसलिए, उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे **आवेदन शुल्क** के **भुगतान से पहले** अपनी पात्रता की जांच कर लें।

ज. अन्य सामान्य निर्देश:

1. चयन प्रक्रिया सहित भर्ती से संबंधित सभी प्रश्नों को **हमारी ईमेल** आई**डी careersmr@**hpcl.in के माध्यम से भर्ती टीम-मुंबई रिफाइनरी को संबोधित कि**या जा सकता है**। **उम्मीदवारों को किसी** भी प्रश्न/सूचना के लिए ईमेल के विषय में अपना आवेदन संख्या **अनिवार्य रूप** से उल्**लेख करना होगा।**
2. यदि कोई उम्मीदवार अपने चयन को सुविधाजनक बनाने **के उद्देश्य से** बाहरी/**आंतरिक** प्रभाव या प्रचार का उपयोग करने का प्रयास करता है, तो बिना कोई कार**ण बताए उस**की **उम्मीद**वारी स्वतः रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि भर्ती **अभियान के** दौरान एचपीसीएल के किसी भी अधिकारी के साथ व्यक्तिगत कॉल और/या बातचीत को **हतोत्साहित** किया जाएगा और इसे उम्मीदवारी के लिए प्रचार के रूप में माना जाएगा और उसका आवेदन **अस्वी**कृति के लिए उत्तरदायी होगा। उपर्युक्त ईमेल आईडी के माध्यम से सम्प्रेषण पर ही विचार किया जाएगा।
3. एचपीसीएल उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत अमान्य/गलत ईमेल आईडी/संपर्क विवरण के कारण किसी भी हानि/ईमेल की डिलीवरी न होने/भेजे गए किसी अन्य संचार/गलत बैंक विवरण जमा करने (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए) के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
4. चयनित उम्मीदवारों का अखिल भारतीय स्थानांतरण दायित्व होगा। चयनित उम्मीदवारों को प्रबंधन के विवेकाधिकार पर किसी भी सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम या भारत सरकार के किसी भी विभाग में तैनात किया जा सकता है।
5. एचपीसीएल पात्रता मानकों को संशोधित करने और रिक्तियों की संख्या बढ़ाने/घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एचपीसीएल बिना किसी नोटिस के और बिना कोई कारण बताए भर्ती प्रक्रिया और/या चयन प्रक्रिया को रद्द/प्रतिबंधित/कम करने/बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
6. किसी भी विवाद के लिए क्षेत्राधिकार न्यायालय मुंबई होगा।
7. आगे कोई शुद्धिपत्र/परिशिष्ट केवल हमारी वेबसाइट http://hindustanpetroleum.com पर अपलोड किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर वेबसाइट देखते रहें।

G20

/hpcl | /hpcl | /hpcl
www.hindustanpetroleum.com

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल

चिकित्सा अधिकारी चयन बोर्ड-2022

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

महानिदेशालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल

(भर्ती शाखा)

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीसुब, कें.रि.पु.ब., भा.ति.सी.पु, ससीब) और असम राइफल्स, गृह मंत्रालय, भारत सरकार में समूह 'क' **सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा अधिकारियों (सेकंड इन कमांड), विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों (उप कमांडेंट) और चिकित्सा अधिकारियों (सहायक कमांडेंट)** के पद में नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों (पुरुष और महिला) से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं. ज्वाइनिंग होने पर, उम्मीदवार उस संगठन के लिए लागू, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिनियम और नियमों से शासित होगा, जिसमें चयन के बाद आवंटन किया जाता है. चयनित उम्मीदवारों को सेवा की आवश्यकता के अनुरूप भारत में अथवा विदेश में कहीं भी सेवा करनी होगी. नियुक्ति होने पर, उम्मीदवार 01.01.2004 से केंद्रीय सरकार की **सेवाओं में नए प्रवेश करने वालों** के लिए लागू **'नई पुनर्गठित परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना'** के अनुरूप पेंशन लाभों के हकदार होंगे.

उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र केवल 'ऑन-लाइन पद्धति' के जरिए **स्वीकार किए जाएंगे**. आवेदन प्रस्तुति के लिए किसी अन्य पद्धति की अनुमति नहीं दी जाएगी. ऑफलाइन **आवेदन प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी सरसरी** तौर पर ही नामंजूर कर दी जाएगी. भा.ति.सी.पु. **भर्ती वेबसाइट <www.recruitment.itbpolice.nic.in>** पर ऑनलाइन आवेदन पद्धति 15.02.2023 **को प्रातः 00.01 बजे से खुलेगी और** 16.03.2023 को अपराह्न 11:59 पर बंद हो जाएगी.

2. रिक्तियां :

क्र. सं.	पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	अभ्युक्तियां
1.	सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा अधिकारी (सेकंड इन कमांड)	05	विवरण के लिए इस विज्ञापन सूचना का अनुलग्नक-I देखें.
2.	विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी (उप कमांडेंट)	185	
3.	चिकित्सा अधिकारी (सहायक कमांडेंट)	107*	
	कुल	297**	

* भूतपूर्व **सैनिकों के लिए** आरक्षित 10 प्रतिशत पदों सहित.

** **रिक्तियां पूर्व सूचना के** बगैर परिवर्तन के विषयाधीन हैं.

3. अर्हता :-

(A) सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा अधिकारी (सेकंड इन कमांड) के लिए

(i) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम अनुसूची में शामिल, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से चिकित्सा में स्नातक डिग्री (एम.बी.बी.एस) या समकक्ष, **और**

(ii) अधिनियम के अधीन अनुरक्षित किसी राज्य चिकित्सा पंजिका में एनरॉल होने चाहिए, और

(iii) अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप पूरी की होनी चाहिए, **और**

(iv) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूची में अनुच्छेद 'क' या अनुच्छेद 'ख' में वर्णित संबंधित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता भी रखते हों, **और**

(v) डॉक्ट्रेट ऑफ मेडिसिन (डीएम) अथवा मेजिस्टर चिरूरगुई (एम.सीएच) अथवा समकक्ष अर्हता और प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के उपरांत संबंधित सुपर-स्पेशयल्टी में तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिये. वरिष्ठ रेजीडेंसी अवधि की भी अनुभव, शारीरिक और चिकित्सा मानदंड के तौर पर गणना की जायेगी, **और**

(vi) आवेदक के पास नियुक्ति से पहले एमसीआई/एनएमसी/राज्य चिकित्सा परिषद् से स्थाई पंजीकरण होना चाहिए.

(B) विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी (उप कमांडेंट)

(i) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की पहली या दूसरी अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची के भाग-II में शामिल चिकित्सा की एलोपैथिक पद्धति की मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता (लाइसेंसिएट अर्हता के अलावा). तृतीय अनुसूची के भाग-II में शामिल शिक्षा अर्हताएं धारण करने वाले व्यक्ति भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद (13) के उप अनुच्छेद (3) में निर्धारित शर्तें भी पूरी करते हों. आवेदक के पास किसी भी कें.स.पु.ब. और अ.रा. में नियुक्ति से पहले एमसीआई/एनएमसी/राज्य चिकित्सा परिषद् का स्थाई पंजीकरण अवश्य होना चाहिये, **और**

(ii) अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप अनिवार्य रूप से पूर्ण की हो, **और**

(iii) उम्मीदवार के पास अनुच्छेद 'ख' अथवा अनुसूची-1 में अनुच्छेद 'ख' में वर्णित संबंधित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर (पीजी) डिग्री/डिप्लोमा या समकक्ष अर्हता होनी चाहिये और स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद संबंधित विशेषज्ञता में डेढ़ वर्ष अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के उपरांत ढाई वर्षों का अनुभव होना चाहिये.

(C) चिकित्सा अधिकारी (सहायक कमांडेंट) के लिए

(i) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की पहली या दूसरी अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची के भाग-II में शामिल चिकित्सा की एलोपैथिक पद्धति की मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता (लाइसेंसिएट अर्हता के अलावा). तृतीय अनुसूची के भाग-II में शामिल शिक्षा अर्हताएं धारण करने वाले व्यक्ति भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद (13) के उप अनुच्छेद (3) में निर्धारित शर्तें भी पूरी करते हों.

(ii) आवेदक के पास किसी भी कें.स.पु.ब. और अ.रा. में नियुक्ति से पहले किसी राज्य चिकित्सा परिषद्/भारतीय चिकित्सा परिषद् का स्थाई पंजीकरण अवश्य होना चाहिये, **और**

(iii) अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप पूर्ण की हो. जो उम्मीदवार रोटेटिंग इंटर्नशिप कर रहे हैं वे आवेदन करने और साक्षात्कार के लिये उपस्थित होने के पात्र हैं बशर्ते कि यदि चयन हो जाता है, नियुक्ति से पूर्व अनिवार्य इंटर्नशिप संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली हो.

4. **आयु सीमा :**

(i) **सुपर स्पेशियल्टी चिकित्सा अधिकारियों (सेकंड इन कमांड)** की भर्ती के लिये आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की बंद होने की तिथि को 50 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिये.

(ii) **विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों (उप कमांडेंट)** की भर्ती के लिए आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की बंद होने की तिथि को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

(iii) **चिकित्सा अधिकारियों (सहायक कमांडेंट)** की भर्ती के लिए आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की बंद होने की तिथि को 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

(iv) **सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा अधिकारियों (सेकंड इन कमांड)**, स्पेशलिस्ट चिकित्सा अधिकारियों (उप कमांडेंट) और चिकित्सा अधिकारियों (सहायक कमांडेंट) की भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट निम्नानुसार प्रदान की जाएगी:-

(a) अनुसूचित जाति (अजा) अथवा अनुसूचित जनजाति (अजजा) उम्मीदवारों के लिए अधिकतम पांच वर्ष तक.

(b) अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) उम्मीदवारों के लिए अधिकतम तीन वर्ष तक.

(c) सरकारी कर्मचारियों (केंद्रीय सरकार सरकारी कर्मचारी) के मामले में अधिकतम पांच वर्ष तक. ''सिविलियन केंद्रीय सरकारी कर्मचारी'' की शर्त उन व्यक्तियों के लिए लागू होगी जिन्हें समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में ''सरकारी कर्मचारी'' के तौर पर परिभाषित किया गया है.

(f) चिकित्सा स्नातकों के मामले में अधिकतम पांच वर्ष तक, जो अल्प सेवा कमीशंड अधिकारियों के तौर पर सेना चिकित्सा कोर में शामिल हुए थे और पांच वर्षों की आरंभिक असाइनमेंट की अवधि पूरी करने के उपरांत कार्यमुक्त हुए हैं. अल्प सेवा कमीशंड अधिकारियों को पांच वर्ष तक की छूट दी जायेगी जिनका असाइनमेंट **पांच वर्ष के उपरांत** बढ़ाया गया है और जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय ने यह प्रमाणपत्र जारी किया है कि उन्हें चयन होने पर नियुक्ति पत्र प्राप्त होने की तिथि से तीन माह की सूचना पर कार्यमुक्त कर दिया जायेगा.

(g) यदि ऐसे सरकारी **कर्मचारी और** एसएससीओज अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं तो **आयु सीमा में अधिकतम दस वर्षों की** और अन्य पिछड़ा वर्गों (अपिव) से संबंधित ऐसे अधिकारियों के लिये अधिकतम **आठ वर्षों तक की छूट दी जायेगी.**

(d) अन्य श्रेणियों के **व्यक्तियों के लिए आयु में छूट** इस विषय पर सरकारी आदेशों के अनुरूप होगी.

5. चयन की पद्धति :

जिन उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन **पत्र सही पाए जाएंगे, उन्हें** कें.स.पु.बल. और अ.रा. में नियुक्ति के लिए उनकी सुयोग्यता का मूल्यांकन करने के लिए निर्धारित **केंद्रों पर अधिकारियों** के पदनामित बोर्ड द्वारा प्रलेखन और साक्षात्कार' के लिए तिथि, **समय** और स्थान का उल्लेख **करते हुए ई-प्रवेश पत्र जारी** किया जाएगा जिसके बाद शारीरिक मानदंड परीक्षण (पीएसटी) और चिकित्सा जांच परीक्षण **(एमईटी) संचालित** किया जाएगा. चयन प्रक्रिया निम्नानुसार क्रम के अनुरूप संचालित की जाएगी:-

(A) प्रलेखन :

सभी उम्मीदवार, जिन्हें ऑनलाइन प्रवेश-पत्र जारी किया **गया है और सीधे साक्षात्कार** के लिए बुलाया गया है, वे प्रवेश पत्र का स्पष्ट और पठनीय प्रिंटआउट तथा निम्नलिखित मूल **शंसापत्र साथ में इनकी** स्वयं सत्यापित प्रतियों का एक सेट, लेकर आएंगे अन्यथा उन्हें स्थल पर प्रवेश करने की **अनुमति नहीं दी जाएगी**:-

i) आयु/जन्म तिथि के समर्थन में मैट्रिकुलेशन/विद्यालय **छोड़ने का प्रमाणपत्र.**

ii) इस विज्ञापन सूचना के पैरा-3 में यथा उल्लिखित अर्हता **के समर्थन में प्रमाण**-पत्र.

iii) इंटर्नशिप पूरा करने/जारी रहने के समर्थन में प्रमाणपत्र.

iv) एमसीआई/एनएमसी/राज्य चिकित्सा परिषद् से पंजीकरण प्रमाणपत्र.

v) **कम से कम तहसीलदार,** एसडीओ अथवा किसी समकक्ष **रैंक के अधिकारी** द्वारा जारी अनुसूचित जाति और **अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र अनुलग्नक**-V के अनुसार, अपिव **प्रमाणपत्र** अनुलग्नक-VI के अनुसार और **ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र अनुलग्नक-VII** के अनुसार, यदि इन श्रेणियों से संबंधित हैं.

vi) **अपिव (एनसीएल) के तौर पर आरक्षण** चाहने वाले **उम्मीदवार अनुलग्नक**-VI-A के अनुसार घोषणा प्रस्तुत करेंगे.

vii) **अपिव (एनसीएल) का दावा करने** वाले उम्मीदवार **नोट कर लें कि संपन्न** वर्ग दर्जे पर **अनुलग्नक-VI** के **अनुसार प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन** की बंद **होने की तिथि अर्थात 16.03.2023** से तीन वर्ष की अवधि के भीतर प्राप्त किया गया होना चाहिए और **यह सुनिश्चित कर लेना** चाहिए कि वह जाति/समुदाय प्रमाण-पत्र रखता है तथा निर्णायक तिथि अर्थात 16.03.**2023 को संपन्न वर्ग** में नहीं आता है.

viii) ईडब्ल्यूएस दर्जे का दावा कर रहे उम्मीदवार **के पास अनुलग्नक-VII** के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात 16.03.**2023 से पूर्व जारी**, वर्ष **2022-23 के लिए वैध वित्तीय वर्ष** 2021-22 के लिए आय **और परिसंपत्तियों के मूल्यांकन** के अनुरूप 'आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र (आईएंडएसी)' होना **चाहिए.**

ix) सरकारी कर्मचारी (**सिविलियन केंद्रीय सरकार के** कर्मचारियों) उम्मीदवार के मामले में **अनुलग्नक-III** के अनुसार **अनापत्ति प्रमाण-पत्र.**

x) **भूतपूर्व सैनिक के मामले में डिस्चार्ज प्रमाणपत्र**

xi) **नागरिकता के सत्यापन के लिए स्थानीय राजस्व प्राधिकारियों** से जारी अधिवास प्रमाणपत्र अथवा पैन कार्ड **अथवा आधार कार्ड** अथवा ड्राइविंग **लाइसेंस अथवा मतदाता पह**चान पत्र अथवा पासपोर्ट.

xii) **ज. एवं क.** में बसाए गए पश्चिमी **पाकिस्तानी शरणार्थियों के मामले में,** उम्मीदवार के गांव के सरपंच/नंबरदार/नायब तहसीलदार द्वारा **अनुलग्नक-VIII के अनुरूप संलग्न प्रारूप में** यह प्रमाणपत्र कि व्यक्ति पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी श्रेणी से संबंधित है, **साथ में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चुनावों** के लिए मतदाता सूची में उम्मीदवार का नाम दर्शाने वाली मतदाता सूची **की प्रति.**

xiii) कद के माप में छूट पाने के इच्छुक उम्मीदवार को, **जब भी भर्ती** बोर्ड **द्वारा मांगा जाता है, अनुलग्नक**-IV के अनुसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.

xiv) एनसीसी ग्रेड प्रमाणपत्र, जहां कहीं उपलब्ध है.

(B) साक्षात्कार

पदनामित बोर्ड प्रलेखन के उपरांत पात्र पाए गए उम्मीदवारों का साक्षात्कार **आयोजित करेगा. साक्षात्कार के** लिए 200 अंक होंगे और उम्मीदवारों की उनके शैक्षणिक अध्ययन के क्षेत्र में सामान्य ज्ञान **और योग्यता** तथा व्यक्तित्व की प्रकृति, बौद्धिक सक्षमता, और निर्णय के संतुलन तथा मानसिक अलर्टनेस, सामाजिक **सौहार्द रखने** की योग्यता, चरित्र की सत्यनिष्ठा, उम्मीदवार की नेतृत्व करने की पहल और सक्षमता की जांच के लिए **आयोजित** किया जाएगा. साक्षात्कार के स्तर पर चयन के उद्देश्य के लिए न्यूनतम मानदंड साक्षात्कार के लिए निर्धारित कुल अंकों (अर्थात 200 का 40 प्रतिशत = 80) का 40 प्रतिशत होगा. सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक समान हैं. साक्षात्कार के स्तर पर उत्तीर्ण नहीं होने वाले उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा.

(C) शारीरिक मानदंड परीक्षा (पीएसटी) :

(1) सभी उम्मीदवारों की, जो साक्षात्कार में उत्तीर्ण हो जाते हैं, उसी दिन अथवा साक्षात्कार की तिथि से अगले दिन अधिकारियों के पदनामित बोर्ड द्वारा शारीरिक मानदंड के लिए जांच की जाएगी.

(2) जो आगे बना अनुसार न्यूनतम अपेक्षित शारीरिक मानदंड पूरा नहीं करते हैं, उन्हें इसी चरण में बाहर कर दिया जाएगा.

(3) जो उम्मीदवार शारीरिक मानदंडों अर्थात ऊंचाई और सीने में (यथा लागू) उत्तीर्ण घोषित नहीं किए जाते हैं, पीठासीन अधिकारी पीएसटी बोर्ड के जरिए केंद्र के लिए नामित अपीलीय अधिकारी को उसी दिन एक अपील प्रस्तुत कर सकते हैं, यदि वे ऐसा करना चाहते हैं. अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में कोई अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.

(क्रमशः)

(4) उम्मीदवारों को निम्नलिखित शारीरिक मानदंड पुष्ट करने चाहिए:-

विवरण	पुरुष	महिला
कद	157.5 सेंमी.	142 सेंमी.
	(1) गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊंनी, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में आने वाले उम्मीदवारों और सिक्किम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश राज्यों, संघ शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के कश्मीर क्षेत्र तथा लद्दाख संघ शासित प्रदेश से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 2 सें.मी शिथिलनीय. (2) अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 3 सें.मी. शिथिलनीय.	
सीना	77 सेंमी. - बिना फुलाए 82 सेंमी. - फुलाने पर	लागू नहीं
वजन	सीएपीएफ में सीधी भर्ती के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक ऊंचाई चार्ट के अनुरूप ऊंचाई और आयु के समानुपातिक (**अनुलग्नक-II**).	

टिप्पणी :- जो उम्मीदवार ऊंचाई के माप में छूट का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें जब भी भर्ती बोर्ड द्वारा मांगा जाए, अनुलग्नक-IV के अनुरूप प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.

(D) चिकित्सा जांच परीक्षा (एमईटी) :

(1) शारीरिक मानदंड परीक्षण (पीएसटी) **में सफल उम्मीदवारों के लिए** उसी दिन अथवा पीएसटी के अगले दिन सीएपीएफ के चिकित्सा **अधिकारियों के विधिवत गठित बोर्ड** द्वारा चिकित्सा जांच परीक्षण (एमईटी) से गुजरना होगा.

(2) पद के लिए उम्मीदवार **का चयन गृह मंत्रालय यूओ** नं. ए-VI-1/2014-भर्ती (एसएसबी) दिनांक 20/05/2015 के **तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस** बलों और असम राइफल्स में सीधी भर्ती के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी, और **समय-समय पर यथा संशोधित**, चिकित्सा दिशानिर्देशों के अनुरूप चिकित्सा अधिकारियों के बोर्ड द्वारा चिकित्सा **की दृष्टि से फिट** पाए जाने के विषयाधीन है.

(3) उम्मीदवार **को चिकित्सा जांच** परीक्षणों में "योग्य" अथवा "अयोग्य" घोषित किया जाएगा.

(4) जिन्हें **चिकित्सा जांच परीक्षणों** (एमईटी) के दौरान अयोग्य घोषित किया जाएगा उन्हें **"रिव्यू मेडिकल जांच (आरएमई)"** के लिए जाने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि वे भर्ती केंद्र के पीठासीन अधिकारी **द्वारा अनुलग्नक-IX के अनुसार** अयोग्य घोषित किए जाने के कारणों का उल्लेख **करते हुए** अपने **हस्ताक्षरयुक्त** अपनी **लिखित** सहमति दें.

(5) आरएमई के लिए उम्मीदवार द्वारा अनुलग्नक-IX के अनुरूप **विधिवत हस्ताक्षरित सहमति** चिकित्सा जांच **परीक्षण** में **उसकी** अयोग्यता के लिए सूचित किए जाने के उपरांत **24 घण्टों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी.**

(6) **रिव्यू** मेडिकल **जांच** (आरएमई) चिकित्सा जांच परीक्षण **(एमईटी) के अनुक्रम में वरीयतन** अगले दिन संचालित की जाएगी.

(7) **बुनियादी चिकित्सा** मानदंड निम्नानुसार हैं:-

(i) **नेत्र दृष्टि :**

विजुअल एक्युटि बगैर सहायता (निकट दृष्टि)		बगैर सुधार विजुअल एक्युटि (दूर दृष्टि)		रिफ्लेक्शन	रंग दृष्टि
बेहतर आंख	खराब आंख	बेहतर आंख	खराब आंख		
एन 6	एन 9	6/6 अथवा 6/9	6/12 अथवा 6/9	**हाइपरमेट्रोपिया : + 3.50 D मायोपिया :-4.5 D** (अस्तिग्मेटिज्म सहित +/- 1.50) **टिप्पणी :-** आयु संबंधी फिजियोलॉजिकल प्रेसबायोपिक बदलाव 35 वर्ष से ऊपर होने की संभावना होती है अतः आयु वार प्रेसबायोपिक परिवर्तन अनुमतेय छूट निकट दृष्टि के लिए नीचे यथा उल्लिखित है. इसके अलावा उपर्युक्त छूट पहले ही दूर दृष्टि के लिए उपलब्ध कराई गई है) **1. + 1DS 40 वर्ष तक.** **2. + 2DS 50 वर्ष तक.** **3. + 3DS 51-60 वर्ष और ऊपर.**	सीपी-III इशारा प्लेट-एस

लेकिन, कोई रेडियल केराटोटमी (आरके) अथवा अन्य **रिफ्रेक्शन सर्जरी की अनुमति नहीं है.**

(ii) ** लेसिक सर्जरी सुधार की नीचे दिए गए निर्धारित मानदंड के **विषयाधीन अनुमति है:**

(a) इंटरवल - 6 माह
(b) आयु - 20-35 वर्ष
(c) एक्सियल लंबाई - 26 एमएम से कम 21 एमएम से अधिक
(d) कोरनियल थिकनेस - 425 माइक्रोन
(e) प्री लेसिक त्रुटि - 6 डी
(f) विजन - चिकित्सा दिशानिर्देशों के अनुरूप
(g) रेटिनल स्थिति - सामान्य

(iii) उम्मीदवार के टकराते हुए घुटने, चपटे पांव या आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए. उम्मीदवार की लागू चिकित्सा दिशानिर्देशों के अनुरूप रंग दृष्टि की जांच की जाएगी. रंग अवधारणा सीपी-III के नीचे होने पर उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है.

(iv) ज्वाइनिंग के समय प्रत्येक उम्मीदवार एक वचनपत्र देगा कि सेवा कॅरिअर के किसी भी चरण में यदि यह पाया जाता है कि उसके पद के अनुरूप अपेक्षित रंग अवधारणा मानक पूरा नहीं करता है, उसे लागू शेष नीति के अनुरूप बाहर कर दिया जाएगा.

(v) उम्मीदवार का मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा और किसी भी चिकित्सा स्थिति या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि कार्यों के कुशल निष्पादन में बाधक हो सकता है अथवा गृह मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा सीएपीएफएंडएआर में सीधी भर्ती के लिए जारी चिकित्सा दिशानिर्देशों के अनुरूप अस्वीकृति का कारण बन जाए.

(vi) **टैटू प्रावधान :-**

(a) **कंटेंट :** धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते, हमारे देश के नागरिकों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना है और इस प्रकार, भारतीय सेना में यथा अनुमतेय धार्मिक चिन्हों या अंकों और नाम के टैटुओं की अनुमति दी गई है.

(b) **स्थान :** शरीर के परंपरागत स्थानों पर जैसे कि बाजू की कलाई के अंदर परंतु केवल बाईं कलाई में, गैर सलामी अंक अथवा हाथों के पिछले भागों पर चिन्हित टैटुओं की अनुमति है.

(c) **आकार :** आकार शरीर के विशेष हिस्से (कुहनी या हाथ) का 1/4 से कम होना चाहिए.

(vii) चयनित होने पर प्रत्येक उम्मीदवार की विधिवत गठित चिकित्सा परीक्षण बोर्ड द्वारा उसके मेडिकल फिटनेस की जांच की जायेगी. भारत सरकार के पास चिकित्सा परीक्षण बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के उपरांत किसी भी उम्मीदवार को अस्वीकृत या स्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है.

टिप्पणी:- उपर्युक्त दिशानिर्देश हैं. चिकित्सा जांच गृह मंत्रालय द्वारा जारी और समय-समय पर यथा संशोधित **यूओ सं. ए-VI-1/2014-भर्ती (एसएसबी) दिनांक 20/05/2015** के अनुरूप संशोधित चिकित्सा दिशानिर्देशों के अनुरूप संचालित की जाएगी.

6. **कॅरिअर और अवसर :**

(A) **परिलब्धियां :**

(i) **सुपर स्पेशियल्टी चिकित्सा अधिकारी (सेकंड इन कमांड) हेतु**

ग्रेड-II (सेकंड इन कमांड) में नियुक्त सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा अधिकारियों को सीसीएस (संशोधित वेतन) नियम, 2016 की अनुसूची के भाग-क में यथा विनिर्दिष्ट वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 में प्रथम सैल अथवा वेतन मैट्रिक्स के प्रथम सैल में न्यूनतम वेतन, वेतनमान रु. 78,800-2,09,200 प्रति माह के साथ सेकंड इन कमांड का रैंक प्रदान किया जायेगा साथ में अन्य लाभ, जैसे कि समय-समय पर यथासंशोधित और वर्तमान में लागू केंद्रीय सरकार के आदेशों/प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार देय गैर प्रेक्टाइजिंग भत्ता, मंहगाई भत्ता, परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता और कोई अन्य भत्ते का भुगतान किया जायेगा. कोई स्नातकोत्तर भत्ता **देय नहीं** होगा क्योंकि पद के लिये बुनियादी अनिवार्य अर्हता एक खास विशेषज्ञता क्षेत्र में स्नातकोत्तर **डिग्री/डिप्लोमा है.**

(ii) **विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी** (उप कमांडेंट) के लिए

ग्रेड-II (कनिष्ठ स्केल) में नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों को सीसीएस (संशोधित वेतन) नियम, **2016 की अनुसूची के भाग-क में यथा** विनिर्दिष्ट वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 में प्रथम सैल अथवा वेतन मैट्रिक्स **के प्रथम सैल में न्यूनतम वेतन, वेतन**मान रु. 67,700-2,08,700 प्रति माह के साथ उप कमांडेंट का रैंक प्रदान किया **जायेगा. साथ में अन्य लाभ,** जैसे कि समय-समय पर यथासंशोधित और वर्तमान में लागू केंद्रीय सरकार के आदेशों/**प्रावधानों के अनुसार नियमा**नुसार देय गैर प्रेक्टाइजिंग भत्ता, मंहगाई भत्ता, परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता और **किसी अन्य भत्ते का भुगतान** किया जायेगा. कोई स्नातकोत्तर भत्ता देय नहीं होगा क्योंकि पद के लिये बुनियादी अनि**वार्य अर्हता एक खास विशे**षज्ञता क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा है.

(iii) **चिकित्सा अधिकारी (सहायक कमांडेंट) के लिये**

किसी भी कें.स.पु.ब में नियुक्त चिकित्सा **अधिकारियों को सीसीएस** (संशोधित वेतन) नियम, 2016 की अनुसूची के भाग-क में यथा विनिर्दिष्ट वेतन **मैट्रिक्स के लेवल-10** में प्रथम सैल अथवा वेतन मैट्रिक्स के प्रथम सैल में न्यूनतम वेतन, वेतनमान रु. 67,700-**2,08,700 प्रति** माह के साथ सहायक कमांडेंट का रैंक प्रदान किया जायेगा साथ में अन्य लाभ, जैसे कि **समय-समय पर यथा**संशोधित और वर्तमान में लागू केंद्रीय सरकार के आदेशों/प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार **देय गैर प्रेक्टाइजिंग** भत्ता, मंहगाई भत्ता, परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता और किसी अन्य भत्ते का भुगतान **किया जायेगा.** कोई स्नातकोत्तर भत्ता देय नही होगा क्योंकि पद के लिये बुनियादी अनिवार्य अर्हता एक खास **विशेषज्ञता क्षेत्र में** स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा है.

(B) पदोन्नति के अवसर

कें.स.पु.ब एवं असम राइफल्स में चिकित्सा अधिकारियों के **लिये रिक्ति से जोड़े** बिना टाइम स्केल पदोन्नति प्रदान **करने की एक** गतिशील सुनिश्चित कॅरिअर प्रोग्रेशन स्कीम **(डीएसीपी के तौर** पर लोकप्रिय रूप में संदर्भित) **निम्नानुसार लागू है:**

8. **पदोन्नति के अवसर.**

कें.स.पु.ब **में चिकित्सा अधिकारियों** के लिये रिक्ति से जोड़े **बिना** टाइम **स्केल पदोन्न**ति प्रदान करने की एक गतिशील **सुनिश्चित कॅरिअर प्रोग्रेशन स्कीम** (डीएसीपी के तौर पर लोकप्रिय रूप **में संदर्भित**) निम्नानुसार लागू है:

(i) **सुपर स्पेशियल्टी चिकित्सा अधिकारी** (सेकंड इन कमांड) .

डीएसीपी स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन		वित्तीय उन्नयन के लिये अपेक्षित नियमित सेवा के वर्षों की संख्या	संगत नियमों में विनिर्दिष्ट रैंक
से	तक		
7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 12, वेतनमान रु. 78,800-2,09,200	7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 13, वेतनमान रु.1,23,100-2,15,900	7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 12, वेतनमान रु. 78,800-2,09,200 में 4 वर्ष	कमांडेंट 7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 13, वेतनमान रु. 1,23,100-2,15,900
7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 13, वेतनमान रु. 1,23,100-2,15,900	7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 13-ए, वेतनमान रु. 1,31,100-2,16,600	7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 13, वेतनमान रु. 1,23,100-2,15,900 में 3 वर्ष	कमांडेंट 7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 13-ए, वेतनमान रु. 1,31,100-2,16,600
7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 13-ए, वेतनमान रु. 1,31,100-2,16,600	7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 14, वेतनमान रु. 1,44,200-2,18,200	7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 13-ए, वेतनमान रु. 1,31,100-2,16,600 में 3 वर्ष	कमांडेंट 7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 14, वेतनमान रु. 1,44,200-2,18,200

(ii) विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी (उप कमांडेंट)

डीएसीपी स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन		वित्तीय उन्नयन के लिये अपेक्षित नियमित सेवा के वर्षों की संख्या	संगत नियमों में विनिर्दिष्ट रैंक
से	तक		
7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 11, वेतनमान रु. 67,700-2,08,700	7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 12, वेतनमान रु. 78,800-2,09,200	7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 11, वेतनमान रु. 67,700-2,08,700 में 2 वर्ष	सेकंड इन कमांड-7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 12, वेतनमान रु. 78,800-2,09,200
7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 12, वेतनमान रु. 78,800-2,09,200	7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 13, वेतनमान रु. 1,23,100-2,15,900	7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 12, वेतनमान रु. 78,800-2,09,200 में 4 वर्ष	कमांडेंट 7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 13, वेतनमान रु. 1,23,100-2,15,900
7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 13, वेतनमान रु. 1,23,100-2,15,900	7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 13 ए, वेतनमान रु. 1,31,100-2,16,600	7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 13, 1,23,100-2,15,900 में 3 वर्ष	कमांडेंट 7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 13 ए, वेतनमान रु. 1,31,100-2,16,600

(क्रमशः)

डीएसपी स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन		वित्तीय उन्नयन के लिये अपेक्षित नियमित सेवा के वर्षों की संख्या	संगत नियमों में विनिर्दिष्ट रैंक
से	तक		
7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 13 ए, वेतनमान रु. 1,31,100-2,16,600	7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 14, वेतनमान रु. 1,44,200-2,18,200	7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 13-ए, वेतनमान रु. 1,31,100-2,16,600 में 4 वर्ष	कमांडेंट 7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 14, वेतनमान रु. 1,44,200-2,18,200

(iii) चिकित्सा अधिकारी (सहायक कमांडेंट)

डीएसपी स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन		वित्तीय उन्नयन के लिये अपेक्षित नियमित सेवा के वर्षों की संख्या	संगत नियमों में विनिर्दिष्ट रैंक
से	तक		
7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 10, वेतनमान रु. 56,100-1,77,500	7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 11, वेतनमान रु. 67,700-2,08,700	7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 10, वेतनमान रु. 56,100-1,77,500 में 4 वर्ष	उप कमांडेंट, 7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 11, वेतनमान रु. 67,700-2,08,700
7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 11, वेतनमान रु. 67,700-2,08,700	7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 12, वेतनमान रु. 78,800-2,09,200	7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 11, वेतनमान रु. 67,700-2,08,700 में 5 वर्ष	सेकंड इन कमांड, कमांडेंट 7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 12, वेतनमान रु. 78,800-2,09,200
7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 12, वेतनमान रु. 78,800-2,09,200	7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 13, वेतनमान रु. 1,23,100-2,15,900	7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 12, वेतनमान रु. 78,800-2,09,200 में 4 वर्ष	कमांडेंट 7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 13, वेतनमान रु. 1,23,100-2,15,900
7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 13, वेतनमान रु. 1,23,100-2,15,900	7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 13-ए, वेतनमान रु. 1,31,100-2,16,600	7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 13, वेतनमान रु. 1,23,100-2,15,900 में 3 वर्ष	कमांडेंट 7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 13-ए, वेतनमान रु. 1,31,100-2,16,600
7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 13-ए, वेतनमान रु. 1,31,100-2,16,600	7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 14, वेतनमान रु. 1,44,200-2,18,200	7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 13-ए, वेतनमान रु. 1,31,100-2,16,600 में 4 वर्ष तथा 20 वर्षों की नियमित सेवा	कमांडेंट 7वां कें.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स लेवल 14, वेतनमान रु. 1,44,200-2,18,200

टिप्पणी : चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ **चिकित्सा** अधिकारियों के लिये कमांडेंट के रैंक से **डीआईजी (चिकित्सा) और आईजी** (चिकित्सा) **के रैंक** तक पदोन्नति संयुक्त वरिष्ठता सूची के जरिए स्वीकृत रिक्ति के **तहत चयन द्वारा होती है.**

(C) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए प्रावधान

कोई अधिकारी इस संबंध **में अनुदेशों** के **अनुरूप 5 वर्ष** की नियमित सेवा पूरी होने पर पीजी प्रवेश परीक्षा के लिये आवेदन कर सकता है.

7. उम्मीदवारों के लिए विकल्प

(a) विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी (उप **कमांडेंट**) और **चिकित्सा अधिकारी** (सहायक कमांडेंट) के पदों के लिये उम्मीदवार को किसी भी एक या **अधिक कें.स.पु.ब.** (भा.ति.सु.पु, **कें.रि.पु.ब, सीसुब,** ससीब) और असम राइफल्स में वरीयता के अपने विकल्प का **उल्लेख करना** होगा. **इस उद्देश्य के लिये उसे कें.स.पु.ब. के नाम** का स्पष्ट उल्लेख करना अपेक्षित है जिसके लिये **वरीयता क्रम में वह विचार किये जाने का इच्छुक है. नियुक्ति** के समय, उम्मीदवार द्वारा दी गई वरीयताओं और मैरिट क्रम **में उनके रैंक को ध्यान में रखते हुए विचार किया** जायेगा.

(b) सुपर स्पेशियल्टी चिकित्सा अधिकारियों (सेकंड इन कमांड) के पद केवल भातिसीपु **में उपलब्ध हैं.**

(c) कें.स.पु.ब. एवं असम राइफल्स की वरीयता का विकल्प उम्मीदवारों द्वारा पदों के लिए प्रस्तुत कर दिए जाने पर अंतिम माना जाएगा और वरीयता के विकल्प में परिवर्तन के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

8. मैरिट सूची :

चिकित्सा अधिकारी चयन बोर्ड साक्षात्कार के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार को प्रदत्त कुल अंकों के आधार पर एक मैरिट सूची तैयार करेगा. बोर्ड अजा/अजजा, अपिव और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिये अलग-अलग मैरिट सूची भी तैयार करेगा.

9. **सेवा की शर्त :**

(a) कें.स.पु.ब और असम राइफल्स में सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा अधिकारियों, विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों, और चिकित्सा अधिकारियों के पद कम्बेटाइज्ड हैं और समय-समय पर यथा संशोधित संबंधित संगठनों के अधिनियम और नियमों से शासित होते हैं.

(b) सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा अधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, और चिकित्सा अधिकारी होने के नाते कें.स.पु.ब और असम राइफल्स में नियुक्ति होने पर उम्मीदवार को सेवा की आवश्यकता के अनुसार देश या विदेश के किसी भी भाग में सेवा करनी पड़ सकती है. उन्हें जिस यूनिट में तैनात किया जायेगा स्वतंत्र रूप से कार्य करना होगा.

(c) उम्मीदवारों को न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि के लिये बल की सेवा करना अपेक्षित होगा. यदि कोई अधिकारी, सेवा ज्वाइनिंग के उपरांत 10 वर्ष पूरे होने से पहले सेवा से इस्तीफा देना चाहता है, उसे 03 माह का वेतन और भत्ते के बराबर एक राशि अथवा उसे बल में प्रदत्त प्रशिक्षण की लागत, जो भी अधिक हो, जमा करानी होगी.

(c) परिवीक्षा अवधि

(i) सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा अधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारियों के ग्रेड में संवर्ग में नियुक्त प्रत्येक उम्मीदवार दो वर्षों की अवधि के लिये परिवीक्षा पर होगा.

(ii) केंद्रीय सरकार, यदि लिखित में दर्ज किये जाने वाले कारणों से उपयुक्त समझती है, उप **अनुच्छेद** क (i) में विनिर्दिष्ट अवधि एक वर्ष तक बढ़ा सकती है.

(iii) परिवीक्षा की अवधि के दौरान या अंत में अथवा परिवीक्षा की विस्तारित अवधि के दौरान किसी भी समय, केंद्रीय सरकार बगैर कोई कारण बताये, जो भी हो, परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को बर्खास्त कर सकती है।

(b) चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के उपरांत बुनियादी प्रशिक्षण और समय-समय पर बल में यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य पाठ्यक्रम से गुजरना पड़ सकता है.

(c) पदों पर नियुक्त किसी भी उम्मीदवार को कंसलटेंसी और प्रयोगशाला प्रेक्टिस सहित प्राइवेट प्रेक्टिस के लिये अनुमति नहीं दी जायेगी.

(d) सेवानिवृत्ति के उपरांत किसी भी उम्मीदवार को सेवा में विस्तार प्रदान नहीं किया जायेगा.

(e) कोई भी व्यक्ति,

i) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबंध किया है जिसका जीवनसाथी जीवित है, **अथवा**

ii) जिसने जीवनसाथी के जीवित रहते किसी अन्य व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबंध किया है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा अधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिये पात्र होगा.

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार, यदि संतुष्ट हो जाती है कि उस व्यक्ति और विवाह करने वाले दूसरे पक्ष के लिये लागू निजी कानून के अधीन ऐसे विवाह की अनुमति है, पद की भर्ती के लिये नियमों के प्रचालन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है,

10. **आवेदन** शुल्क और भुगतान की पद्धति

उक्त **पदों पर भर्ती के** लिये आवेदन कर रहे सामान्य (अना)/अपिव श्रेणी से संबंधित पुरुष उम्मीदवारों को **<www.recruitment.itbpolice.nic.in>** पर ऑनलाइन गेटवे सिस्टम के जरिए आवेदन शुल्क के तौर पर **400/-** रु. (केवल **चार सौ रुपये) का** भुगतान करना चाहिये। किसी अन्य भुगतान पद्धति से प्राप्त आवेदनों को **सरसरी तौर पर ही नामंजूर कर दिया जायेगा.** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और महिला उम्मीदवारों को **फीस के भुगतान से छूट प्राप्त है. फीस** का एक बार भुगतान कर दिये जाने पर किसी भी स्थिति में उसे लौटाया नहीं जायेगा. **उपर्युक्त के अलावा किसी अन्य** पद्धति से भुगतान की गई फीस को स्वीकार नहीं किया **जायेगा** और ऐसे उम्मीदवारों के **आवेदनों को सीधे नामंजूर कर** दिया जायेगा और भुगतान जब्त कर लिया जायेगा.

11. सामान्य :

(a) पात्र और **इच्छुक** उम्मीदवारों को **भा.ति.सी.पु भर्ती वेबसाइटः** www.recruitment.itbpolice.nic.in **के जरिए ऑनलाइन** आवेदन करना **होगा.**

(b) **उम्मीदवारों को** सलाह दी जाती है वे बाद **के चरण में अयोग्यता** से बचने के लिये कड़ाई से पात्रता मानदंड और दिये गये अनुदेशों के अनुरूप अपना **प्रोफाइल भरें और ऑनलाइन** आवेदन करें.

(c) उम्मीदवारों को वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल **विवरण भरते समय** मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जारी एमबीबीएस अथवा समकक्ष अर्हता और विशेषज्ञ **अर्हता के समर्थन में** मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जारी प्रमाणपत्र और एमसीआई/एनएमसी/राज्य चिकित्सा **परिषद् से जारी पंजी**करण प्रमाणपत्र की फोटो, हस्ताक्षर को स्पष्ट और पठनीय रूप में अपलोड करना भी **सुनिश्चित करना चाहिये.**

(d) उम्मीदवार भातिसीपु भर्ती वेबसाइट **<www.recruitment.itbpolice.nic.in>** पर एफएक्यूज और लिंक्स में कैसे रजिस्टर करें इसका संदर्भ ले सकते हैं.

(e) **उम्मीदवारों** को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सभी **पात्रता शर्तें पूरी करते हैं** ताकि बाद के चरण में निराशा न **हो. यदि किसी** भी चरण में सत्यापन के दौरान यह पाया **जाता है कि वे कोई एक** भी पात्रता शर्त पूरी नहीं करते **हैं, चयन समिति** उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर सकती **है.**

(f) **उम्मीदवार अत्यधिक कठिन** जलवायु स्थितियों में सुपर **स्पेशलिस्ट चिकित्सा** अधिकारी (सेकंड इन कमांड), **विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी (उप** कमांडेंट) और **चिकित्सा अधिकरी** (सहायक कमांडेंट) की ड्यूटियों **के लिए शारीरिक/चिकित्सा की दृष्टि** से फिट होना **चाहिए जहां संबंधित** विभाग अपनी ड्यूटियों के लिए **प्रतिबद्ध है.**

(g) **चिकित्सा जांच में उपस्थिति और अर्हता** मात्र से उम्मीदवार **को नियुक्ति के** लिए अधिकार की कोई गारंटी नहीं **होगी.**

(h) **भारत सरकार की ओर से चयन समिति** के पास **किसी** भी **चरण में किसी** भी उम्मीदवार की उम्मीदवार को **नामंजूर या स्वीकार करने का अधिकार** सुरक्षित **है.**

(i) चयन समिति उम्मीदवार के पते के लिए किए **गए अनुरोध के मामले** को छोड़कर किसी तरह के पत्राचार पर विचार नहीं करेगी.

(j) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति सरकार **के ऐसी किसी जांच के** उपरांत संतुष्ट होने जाने के विषयाधीन होगी जो कि उम्मीदवारों के संबंध में उनके **चरित्र और पूर्ववृत के** पदों में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से सुयोग्यता हेतु आवश्यक समझी जाती है.

(k) नियुक्ति आगे उम्मीदवारों **के सक्षम प्राधिकारी को उनके** संतोषजनक ढंग से अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप पूरा करने और सुपर **स्पेशलिस्ट चिकित्सा अधिकारियों** तथा विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों के मामले में विशेषज्ञता के उनके **क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव रखने के विषया**धीन होगी.

(l) **ऊपर वर्णित प्रावधान के विषयाधीन, सफल** उम्मीदवारों पर चयन बोर्ड द्वारा उन्हें प्रदत्त मैरिट क्रम के आधार **पर नियुक्ति के लिये विचार किया जायेगा.**

(m) **केंद्रीय सेवा/विभागीय उम्मीदवारों को मूल दस्तावेजों** के सत्यापन के समय अपने नियोक्ता से **''अनुलग्नक-III के** अनुरूप ''अना**पत्ति प्रमाणपत्र'' मूल** रूप में प्रस्तुत करना चाहिए अन्यथा उनकी **उम्मीदवारी** नामंजूर कर दी जाएगी.

(n) सभी पात्र उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षाओं **की तिथि, समय और स्थान का** उल्लेख करते हुए ऑनलाइन प्रवेश पत्र भातिसीपु भर्ती वेबसाइट **<www.recruitment.itbpolice.nic.in>** के जरिए जारी किए जाएंगे. इस संबंध में सूचना उम्मीदवारों को उनके पंजी**कृत ई-मेल** आईडी **के जरिए भी दी** जाएगी. अतः उम्मीदवारों को सही और संचालित ई-मेल आईडी तथा मोबा**इल नंबर ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने** के समय उपलब्ध कराना चाहिए.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मेल बॉ**क्स में स्पैम** फोल्डर/**जंक बॉक्स सहित** समय-समय पर अपने ई-मेल और भा.ति.सी.पु. भर्ती वेबसाइटः **<www.recruitment.itbpolice.nic.in>** को भी देखते रहें.

(o) भातिसीपु ऑनलाइन प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होने को लेकर उम्मीदवार **की विफलता** के लिए **जिम्मेदार** नहीं होगी. ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी विद्युत विफलता, इलेक्ट्रॉनिक, **इंटरनेट संबंधी समस्याएं** आदि उम्मीदवार के समकक्ष पेश आने के लिए भी भातिसीपु जिम्मेदार नहीं होगी.

(p) उम्मीदवारों को भर्ती केंद्र पर अपनी स्वयं की व्यवस्था के अधीन एक दिन से अधिक के लिए विधिवत तैयार होकर आना चाहिए. भातिसीपु के पास अल्प सूचना पर ऑनलाइन प्रवेश-पत्र जारी करने का अधिकार सुरक्षित है.

(q) बाहरी स्थानों से साक्षात्कार के लिये बुलाये गये उम्मीदवारों को यथा देय और वित्त मंत्रालय के **का.ज्ञा. सं. एफ-19045/1/74-ई- IV (बी) दिनांक** 30.01.1976 **(भारत सरकार एसआर 132 के नीचे निर्णय सं.** 08) के प्रावधानों के अधीन विनियमित यात्रा खर्चों का भुगतान किया जायेगा. लेकिन 250 कि.मी. की यात्रा तक के लिये उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा. 250 कि.मी. से अधिक की यात्रा के मामले में, उम्मीदवार को प्रत्येक बाह्य और वापसी यात्राओं पर आरंभिक 250 कि.मी. तक की यात्रा के लिये स्वयं खर्च वहन करना होगा. शेष दूरी के लिये (250 आरंभिक कि.मी. के उपरांत) सबसे छोटे मार्ग से एकल द्वितीय श्रेणी रेल किराये अथवा वास्तविक बस किराये का, जो कि यात्रा की पद्धति पर निर्भर करेगा, साक्षात्कार के लिये बुलाये गये सबसे छोटे मार्ग से जो उनके निवास के सामान्य स्थान से अथवा उम्मीदवार को उस स्थान से जहां से वास्तविक यात्रा शुरू की गई है, जो भी साक्षात्कार के स्थान के निकट है, उसी स्थान पर वापसी के लिये भुगतान किया जा सकता है, जो कि यात्रा की पद्धति पर निर्भर करेगा. लेकिन अजा/अजजा समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में उन्हें दूसरी श्रेणी रेल किराये या बस किराये का भुगतान किया

(क्रमशः)

जायेगा बशर्ते कि आने जाने की दोनों तरफ की यात्राओं के पहले 30 कि.मी. के किराये भुगतान उम्मीदवार को करना होगा.

(r) उपर्युक्त रियायत उन उम्मीदवारों को देय नहीं होगी जो कि पहले से केंद्रीय/राज्य सरकार, निगमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय संस्थाओं और पंचायतों में सेवारत हैं. यात्रा भत्ते का दावा कर रहे उम्मीदवार के लिये उस क्षेत्र के सांसद या एमएलए से जहां पर उम्मीदवार सामान्यतः निवास करता है अथवा राजपत्रित अधिकारी से बेरोजगारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है.

(s) इस विज्ञापन में और वेबसाइट पर दी गई सूचना केवल दिशानिर्देश हैं. अस्पष्टता के मामले में, भारत सरकार के वर्तमान नियम और विनियम अंतिम होंगे.

12. इस भर्ती के संबंध में आगे कोई सूचना/नोटिस केवल भातिसीपु भर्ती वेबसाइट **www.recruitment.itbpolice.nic.in** पर अपलोड किया जाएगा. अतः सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर उपर्युक्त लिंक पर पधारें.

बीओसी ....

उप महानिरीक्षक (भर्ती)

अनुलग्नक-I

एमओएसबी-2022 के **अधीन रिक्तियों का विवरण**

(A) सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा अधिकारी (**सेकंड इन कमांड**)

क्र. सं.	सीएपीएफ का नाम साथ में स्ट्रीमवार रिक्तियां		रिक्तियों का श्रेणीवार विवरण		
			अना/सामा.	अपिव	कुल
1.	भातिसीपु		04	01	05
	न्यूरोसर्जरी	- 01			
	न्यूरोलॉजी	- 01			
	गेस्ट्रोएंटरोलॉजी	- 01			
	कार्डियोलॉजी	- 01			
	नेफ्रोलॉजी	- 01			

(B) विशेषज्ञ **चिकित्सा अधिकारी** (उप कमांडेंट)

क्र. सं.	बल का नाम	श्रेणी					
		अना/सामा	अजा	अजजा	**अपिव**	**ईडब्ल्यूएस**	**कुल**
1.	**सीसुब**	31	06	-	**12**	5	**54**
2.	**केंरिपुब**	29	17	10	**34**	12	102
3.	**ससीब**	15	-	-	-	-	**15**
4.	**भातिसीपु**	04	01	01	02	02	**10**
5.	**असम राइफल्स**	04	-	-	-	-	04
	कुल	83	**24**	11	**48**	19	185

विशेषज्ञ **चिकित्सा अधिकारी** की विशेषज्ञता वार **रिक्तियां**

क्र.सं	**विशेषज्ञता का क्षेत्र**	**सीसुब**	**केरिपुब**	**ससीब**	**भातिसीपु**	**असम राइफल्स**	**कुल**
1.	**चिकित्सा**	09	**19**	**03**	**03**	**01**	**35**
2.	सर्जरी	10	**20**	03	01	01	35
3.	प्रसूति **एवं महिला** रोग	06	**12**	02	01	01	**22**
4.	एनेस्थेटिस्ट	05	12	-	01	-	18
5.	रेडियोलॉजिस्ट	10	22	03	03	01	39
6.	ऑप्थल्मोलॉजिस्ट/**नेत्र**	**03**	13	03	01	-	20
7.	पैथोलॉजिस्ट	**10**	**04**	01	-	-	15
8.	पिडियाट्रिक्स	01	-	-	-	-	01
	कुल	**54**	**102**	**15**	**10**	04	185

(C) चिकित्सा अधिकारी (सहायक कमांडेंट)

क्र. सं.	सीएपीएफ का नाम	अना/ सामा	अजा	अजजा	**अपिव**	**ईडब्ल्यू-एस**	**भूतपूर्व सैनिक**	**कुल**
1.	सीसुब	06	14	02	03	02	10 **प्रतिशत**	**27**
2.	केंरिपुब	-	07	-	-	-	भूतपूर्व सैनिकों	07
3.	ससीब	-	02	-	-	-	सहित	02
4.	भातिसीपु	15	23	04	12	03		57
5.	असम राइफल्स	06	02	01	04	01		14
	कुल	**27**	**48**	07	19	06		107

टिप्पणी :- (a) रिक्तियां परिवर्तन के विषयाधीन हैं (बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं)

(b) सीएपीएफ और एआर में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण केवल सहायक कमांडेंट के स्तर तक है.

अनुलग्नक-II

पुरुष

विभिन्न आयु वर्गों के लिए औसत शारीरिक वजन - कि.ग्रा. में और ऊंचाई

ऊंचाई सेंमी. में	आयु वर्ष में			
	18 - 22	**23 - 27**	**28 - 32**	**33 - 37**
156	44 - 54	46 - 56	47 - 58	48 - 59
158	45 - 55	47 - 57	48.5 - 59.5	49.5 - 60.5
160	46 - 56	47.7 - 58.5	49.5 - 60.5	50.5 - 61.5
162	47 - 58	49 - 60	50.5 - 61.5	52 - 63
164	48 - 59	50 - 61	52 - 63.5	53 - 65
166	49.5 - 60.5	51.5 - 62.5	53 - 65	54.5 - 66.5
168	51 - 62	52.5 - 64.5	54.5 - 66.5	56 - 68
170	52 - 64	54 - 66	56 - 68	57.5 - 70.5
172	54 - 66	55.5 - 67.5	57 - 70	59 - 72
174	55 - 67	57 - 70	59 - 72	61 - 74.5
176	56.5 - 69	58.5 - 71.5	60.5 - 73.5	62 - 76
178	57.5 - 70.5	60 - 73	61.5 - 75.5	63.5 - 77.5
180	59 - 72	61 - 75	63.5 - 77.5	65.5 - 80
182	61 - 74.5	62.5 - 76.5	65 - 79	66.5 - 81.5
184	63 - 77	64.5 -78.5	66.5 - 81.5	68.5 - 83.5
186	63.5 - 77.5	65.5 - 80.5	68 - 83	70 - 86
188	65 - 79	67.5 - 82.5	70 - 85.5	71.5 - 87.5
190	66 - 81	68.5 - 83.5	70.5 - 86.5	72.5 - 88.5

महिला

विभिन्न आयु वर्गों के लिए औसत शारीरिक वजन - कि.ग्रा. में और ऊंचाई

ऊंचाई सेंमी. में	आयु वर्ष में			
	18 - 22	**23 - 27**	**28 - 32**	**33 - 37**
148	**34.5 - 42.5**	37 - 45	38.5 - 47	39.5 - 48.5
150	**36.5 - 44.5**	37.5 - 45.5	39 - 48	40.5 - 49.5
153	**38 - 46**	39 - 48	41 - 50	42 - 51
155	**38.5 - 47.5**	**40** - 49	41.5 - 50.5	43 - 52.5
158	40.5 - **49.5**	**42 - 51**	43 - 53	44.5 - 54.5
160	41.5 - **50.5**	**43 - 52.5**	44 - 54	45.5 - 54.5
163	43 - 52.5	**44 - 54**	46 - 56	47 - 57
165	44 - 54	**45.5 - 55.5**	47 - 58	48.5 - 59.5
168	45 - 55	**47 - 57**	**48**.5 - 59.5	49.5 - 60.5

- इस चार्ट में शरीर का वजन केवल ईवन नंबर्स **पर कुछेक ऊंचाइयों** (सें.मी. में) के तत्स्थानी दिया गया है. मध्य में ऊंचाई के संबंध में, शरीर के वजनों की **गणना के लिए ''औसत''** के सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है.
- जहां कहीं उम्मीदवार की आयु 37 की आयु से ऊपर **छूट दी जाती है** (उदाहरण के लिए 40 या अधिक), औसत वजन बीएमआई का प्रयोग करते हुए निकाला **जा सकता है.**

अनुलग्नक-III

कें.स.पु.बलों और असम राइफल्स में सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा अधिकारियों/विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों/चिकित्सा अधिकारियों के पद के लिये भर्ती

(केवल सेवारत उम्मीदवारों के लिये लागू)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

टिप्पणी : पहले से सरकारी सेवारत उम्मीदवारों को **अपना आवेदन उचित** माध्यम से प्रस्तुत करना **चाहिये साथ में अपने नियोक्ता से** सहमति प्राप्त **विधिवत हस्ताक्षरित** निम्नलिखित प्रमाणपत्र कि **कें.स.पु. बलों और असम राइफल्स में** ....पद **के लिये अंतिम रूप** से चयनित होने के मामले **में, उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जायेगा**

(i) **प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री** .... **केंद्रीय सरकार** के अधीन .... का **स्थाई/अस्थाई पद धारण किये हुए है.**

(ii) **यह भी प्रमाणित किया जाता है** कि उसने इस विभाग**/कार्यालय में** .... को अपना आवेदन प्रस्तुत किया है.

(iii) प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... **को कें.स.पु. बलों** और असम राइफल्स में .... पद के लिये चयन होने पर कार्यमुक्त **कर दिया जायेगा.**

(iv) प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... **पद** .... में .... (नियुक्ति की तिथि का उल्लेख करें) से **सेवारत है और उसके विरुद्ध** कोई विभागीय जांच/सतर्कता मामला लंबित या अवेक्षित नहीं है.

स्थान : ....

दिनांक : ....

कार्यालय अध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर
साथ में कार्यालय मोहर

अनुलग्नक -IV

ऊंचाई में छूट लेने के इच्छुक **उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए** जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप

{कृपया **विज्ञापन के पैरा-5 (C) का** संदर्भ लें }

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... **पुत्र श्री**...................... गांव .... तहसील/तालुका .... जिला .... **राज्य** .... **का स्थाई निवासी** है.

2. आगे यह प्रमाणित किया जाता है कि :

- ऊपर वर्णित संपूर्ण क्षेत्र के निवासी (गढ़वाली, कु**माऊंनी, डोगरा,** मराठा, **सिक्किमी) पर** भारतीय संघ के अर्द्ध सैनिक बलों में भर्ती के लिए ऊंचाई के माप में छूट **पर विचार किया** जाता **है.**
- वह हिमाचल प्रदेश/जम्मू एवं कश्मीर/लद्दाख/उत्तर पूर्वी **राज्यों से संबद्ध** है **जिन पर भारतीय संघ** के अर्द्ध सैनिक बलों में भर्ती के लिए ऊंचाई के माप में छूट पर विचार **किया जाता** है.
- वह .... अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित **है जिस पर अर्द्ध** सैनिक **बलों में भर्ती** के लिए ऊंचाई के माप में छूट पर विचार किया जाता है.

तिथि : ....

स्थान : ....

हस्ताक्षर
जिलाधीश/उप मंडलाधीश/तहसीलदार

- जो लागू नहीं है उसे हटा दें.

परिशिष्ट- 'V'

भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी * ...., जो श्री .... के पुत्र/पुत्री हैं और गांव/शहर * .... जिला/डिवीजन* .... राज्य/संघशासित* क्षेत्र .... का निवासी है और .... जाति/जनजाति से संबंधित है, जिसे निम्नानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950----------------, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950--------------, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघशासित क्षेत्र) आदेश, 1951 ------------------, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघशासित क्षेत्र) आदेश, 1951 (अनुसूचित जाति और जनजाति (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश

नोट : इस विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी व अन्य परिशिष्ट के लिए कृपया रोजगार समाचार, नई दिल्ली, दिनांक 11-17 फरवरी, 2023 का अवलोकन करें।

रोजगार के अवसर
(संक्षिप्त जानकारी)

एनपीसीआइएल
पद - नर्स-ए, फार्मासिस्ट/बी आदि
पद संख्या - कुल 158 पद
अंतिम तिथि - 28 फरवरी, 2023
https//www.npcil.nic.in/

एचपीसीएल
पद - असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन
पद संख्या - कुल 60 पद
अंतिम तिथि - 25 फरवरी, 2023
https//www.hindustanpetroleum.com/

डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन
पद - सब डिवीजनल इंजीनियर
पद संख्या - कुल 270 पद
अंतिम तिथि - 22 फरवरी, 2023
https//dot.gov.in/

आइआइटी, गांधीनगर
पद - सिस्टम एनालिस्ट आदि
पद संख्या - कुल 35 पद
अंतिम तिथि - 28 फरवरी 2023
https//iitgn.ac.in/

आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, उत्तराखंड
पद - इंजीनियरिंग असिस्टेंट आदि
पद संख्या - कुल 16 पद
अंतिम तिथि - 28 फरवरी, 2023
https//www.aries.res.in/

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
पद - मैनेजमेंट ट्रेनी आदि
पद संख्या - कुल 24 पद
अंतिम तिथि - 28 फरवरी, 2023
https//www.hindustancopper.com/

पटना हाइकोर्ट
पद - असिस्टेंट (ग्रुप-बी)
पद संख्या - कुल 550 पद
अंतिम तिथि - 07 मार्च, 2023
https//patnahighcourt.gov.in/

एसईसीएल
पद - माइनिंग सिरदार व डिप्टी सर्वेयर
पद संख्या - कुल 405 पद
अंतिम तिथि - 23 फरवरी 2023
http//www.secl-cil.in/

सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

1. राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कारों में 'श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार' 2022 किसे प्रदान किया गया?
(अ) बाबूलाल मारोठिया (ब) गंगा सिंह गौतम
(स) मधु कांकरिया (द) माधू राम

2. हाल ही में आयोजित जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की थीम थी?
(अ) हमारा राज्य हमारी फिल्में (ब) फिल्मों से मानसिक योग
(स) विश्वास स्वरूपम (द) इनमें से कोई नहीं

3. राजस्थान के लोक कलाकार हसीन खान को आगा खान संगीत अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा, इनका संबंध किस जिले से है ?
(अ) बीकानेर (ब) भरतपुर
(स) बाड़मेर (द) जयपुर

4. जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
(अ) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
(ब) राज्यपाल
(स) सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
(द) राष्ट्रपति

5. झालीबाव बावड़ी निम्न में से किस दुर्ग में है?
(अ) कांकनबाडी दुर्ग, अलवर (ब) कुंभलगढ दुर्ग, राजसमन्द
(स) मेहरानगढ दुर्ग, जोधपुर (द) नाहरगढ दुर्ग, जयपुर

6. राजस्थान में संत अमराजी भगत पेनोरमा कहाँ बनाया गया है?
(अ) अलवर (ब) प्रतापगढ़ (स) चित्तौड़गढ (द) पाली

7. हाल ही में किसे ई-गवर्नेंस श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवॉर्ड किसे दिया गया है?
(अ) जनकल्याण पोर्टल (ब) जनसूचना पोर्टल
(स) संपर्क पोर्टल (द) इनमें से कोई नहीं

8. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस राज्य में पहले बर्ड पार्क का लोकार्पण किया है?
(अ) उदयपुर (ब) भीलवाड़ा
(स) भरतपुर (द) इनमें से कोई नहीं

9. बावड़ियों का शहर के नाम से कौनसा जिला प्रसिद्ध है?
(अ) अलवर (ब) बारां (स) कोटा (द) बूंदी

10. राजवल्लभ मण्डन ग्रंथ का संबंध किससे है?
(अ) मंदिर निर्माण से (ब) देवताओं की मूर्ति निर्माण से
(स) निवास संबंधी इमारत निर्माण से (द) राजपथ निर्माण से

11. प्रतिवर्ष आद्रभूमि दिवस मनाया जाता है?
(अ) 02 फरवरी (ब) 03 फरवरी
(स) 04 फरवरी (द) 05 फरवरी

12. हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' योजना के तहत कौनसी रेलसेवा प्रारंभ करने की घोषणा की ?
(अ) वंदे भारत रेल (ब) भारत गौरव रेल
(स) तेजस एक्सप्रेस (द) इनमें से कोई नहीं

13. यूनेस्को द्वारा किसे लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है?
(अ) विश्वभारती विश्वविद्यालय (ब) हावर्ड विश्वविद्यालय
(स) कोलम्बिया विश्वविद्यालय (द) ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय

14. लेंस की शक्ति का एस.आई. मात्रक है?
(अ) मीटर (ब) वाट
(स) न्यूटन (द) डायोप्टर

15. कोशिक के किस कोशिकांग को शक्ति गृह कहते है?
(अ) लाइसोसोम (ब) माइटोकॉन्ड्रिया
(स) राइबोसोम (द) इनमें से कोई नहीं

उत्तरमाला

1(द) 2(ब) 3(स) 4(ब) 5(ब) 6(स) 7(अ) 8(अ) 9(द) 10(स) 11(अ) 12(ब) 13(अ) 14(द) 15(ब)

MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY, BIKANER-334004 (Rajasthan)

website: www.mgsubikaner.ac.in Ph: 0151-2227102

F.03(01-T.Rec.)MGSU/ESTT./2023/ 28262 Date: 02-02-2023

ADVERTISEMENT NO. 01/2023

Applications are invited for the following faculty positions: -

S. No.	Name of Subject/Department	Professor	Associate Professor	Assistant Professor
1	Accountancy And Business Statistics (ABST)	01	02	03
2	Commerce And Management (Business Administration)	01	02	03
3	Computer Science	01	02	-
4	Drawing And Painting (Fine Arts)	01	02	03
5	Economic Administration And Financial Management (EAFM)	01	02	03
6	English	-	02	-
7	Environmental Science	01	-	-
8	Geography	01	02	03
9	History	01	02	01
10	Law	01	02	08
11	Master Of Business Administration (MBA)	01	02	03
12	Microbiology	01	02	-
	Total	**11**	**22**	**27**

1. Online Application form, qualifications and eligibility conditions as prescribed by University/UGC/AICTE and Detailed advertisement, Number of reserved posts, other terms & conditions etc. are available on the University website **www.mgsubikaner.ac.in from 07-02-2023.**
2. Last date for submission of online application is 06-03-2023(11:59 P. M.).
3. The sealed envelope containing the print-out of duly filled online application form along with all necessary and self attested supporting documents must reach the office of The Registrar, Maharaja Ganga Singh University, Bikaner 334004 latest by 14-03-2023 by 05:00 P.M. Forms received after 14-03-2023 (5:00 PM) shall not be entertained under any circumstances. University shall not responsible for any postal delays.
4. The candidates are required to visit the University website regularly for the information regarding to these posts, if any, shall be notified thereon.

रा.रो.सं 06/2023

Registrar

वार्षिक अभिदाताओं हेतु आवश्यक सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक) के वार्षिक अभिदाता बनने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे अभिदाता जिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने जा रहा है वे रुपए 40/- की राशि का भारतीय पोस्टल आर्डर या डिमान्ड ड्राफ्ट सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश के पक्ष में भेजकर इस पाक्षिक पत्र के वार्षिक सदस्य बन सकते हैं। - संपादक

सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखकों / संस्थानों की अपनी है। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है। - सम्पादक

राजस्थान रोजगार संदेश

मुख्य सम्पादक
जगदीश नारायण निर्वाण
निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय
राजस्थान, जयपुर
मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक
हरी राम बडगूजर
सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर,
डाक का पता : सहायक निदेशक प्रकाशन, दरबार स्कूल परिसर,
गोपीनाथ मार्ग, जयपुर, पिनकोड- 302001, फोन- 2368398
e-mail— adrs.jpr.emp@rajasthan.gov.in

स्वत्वाधिकारी, रोजगार सेवा निदेशालय, राजस्थान सरकार के लिए मुद्रक सहायक निदेशक(प्रकाशन) द्वारा डी.बी. कॉर्प लि. 10, जेएलएन मार्ग, जयपुर, फोन - 014193981148 (भास्कर प्रिंटिंग प्रेस, शिवदासपुरा, टोंक रोड, जयपुर) से मुद्रित एवं दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। संपादक-हरी राम बडगूजर